स्वस्थ चेतना का वाहक

सहयोग राशि
30/-₹

जून 2026

क्रान्ति

मासिक

जलवायु और जवाबदेही

- जलवायु संकट : समझ, संतुलन और सहयोग
- पर्यावरण की क़ीमत पर विकास की अंधी दौड़
- पर्यावरण समस्या और इस्लामी शिक्षाएं



हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि.) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा : काबा के गिर्द तवाफ़ (परिक्रमा) करना नमाज़ के सदृश है, अन्तर केवल इतना है कि तुम तवाफ़ में बातचीत करते हो। अत: जो कोई तवाफ़ की हालत में बात-चीत करे तो वह अच्छी और भलाई ही की बात करे।

(हदीस : तिरमिज़ी, नसई)

A Well Wisher

Jamaat-E-Islami Hind

Surat, Gujrat

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail\com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

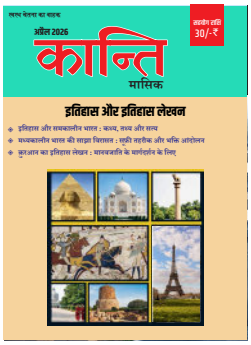
विचार सौरभ **डॉ. कौसर यज़दानी नदवी**

आत्म विश्लेषण

वैज्ञानिक नील्स बोर ने
अपने 77 वें जन्मदिन के बाद
अपनी ज़िंदगी के बारे में
अनेक ऐसी बातें बताई हैं
जिनसे हर व्यक्ति शिक्षा ले सकता है,
अगर वह शिक्षा लेना चाहे,
उन्होंने बताया कि वह अपने शिक्षक हेराल्ड हैफडिंग से
बहुत से मामलों में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे।
उन्होंने अपने घर में
यूनानी देवी हेबे की मूर्ति लगा रखी थी,
जिसे देखकर हैफडिंग
मन ही मन में यह कहा करते थे,
'क्या देवी मेरे काम से सन्तुष्ट है ?'
आत्म-विश्लेषण का उनका अपना यह ढंग था।
ऐसे ही, आत्म-विश्लेषण के उद्देश्य से
अनेक सूफ़ियों, सन्तों, मुनियों, ऋषियों ने भी
अपने-अपने तरीक़े ईजाद कर लिए हैं,
और उनका प्रचार भी किया जाता है,
लेकिन इन गढ़े हुए तौर-तरीक़ों के पीछे
क्या कोई वास्तविक तर्क भी है,
या यह मात्र मन बहलावे की बात है ?
सही बात यह है कि ज्ञान का उद् गम-स्रोत
तो मात्र सृष्टि का स्रष्टा है,
ज्ञान-भंडार उसी के पास है,
उसने मानवता के हित में
अपने सच्चे महान दूतों द्वारा
अपने ज्ञान-स्रोत से जो मार्ग-दर्शन किया है,
वही प्रामाणिक है, सन्तर्क है
मानवता का पोषक है, नैतिक मूल्यों का प्रवर्तक है,
व्यक्ति को सुधारने और समाज को बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है,
जीवन को निखारने-संवारने में उसी को दृष्टि में रखना चाहिए
आत्म-विश्लेषण के समय उसी तौर-तरीक़े को सामने रखना चाहिए
जो ईश्वरीय मार्ग-दर्शन से हमें मिलता है।
जब सही मार्ग-दर्शन हमें मिला हुआ है,
तो इधर-उधर भटकने की क्या ज़रूरत ?
कीजिए अपना आत्म-विश्लेषण।

(प्रथम प्रकाशन : दिसम्बर 1997)

वर्ष 35 अंक 12 जून 2026





आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

- आत्म विश्लेषण (विचार सौरभ) – डॉ. कौसर यज़दानी नदवी 3
- जलवायु और जवाबदेही (संपादकीय) –डॉ. फ़रहत हुसैन 5
- मार्गदर्शन –संपादन प्रभाग 6
- मक्का में बढ़ती हिंसा और अत्याचार –मुशर्रफ़ अली 9
- प्रतिबद्धता और प्रयास –आयशा सुल्ताना 13
- जलवायु संकट : समझ, संतुलन और सहयोग –सुफ़ियान अहमद 15
- पर्यावरण की क़ीमत पर विकास की अंधी दौड़ –डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी 17
- असंतुलन और आगे की राह –एफ. ए. मुजीब 21
- पर्यावरण समस्या और इस्लामी शिक्षाएं –एम. एस. शम्सी 23
- जिनके हिस्से में समुन्दर आ गये –ज़हीर ललितपुरी 25
- लोन के मकड़जाल में फंसाती फाइनेंस कंपनियां, आत्महत्या और पलायन को मजबूर ग़रीब मज़दूर –मसीहुज़्ज़मा अंसारी 27
- क्यों छूट रही है बच्चों की पढ़ाई ? –मुहम्मद आसिफ़ इक़बाल 31
- इतिहास का सच जानने की नई पहल –सुफ़ियान अहमद 33
- विश्व घटनाचक्र –संपादन प्रभाग 37
- अनुभव की शक्ति –लुबना सबूब 41
- गर्मी की तपिश में सेहत का जोखिम (सेहत) –संपादन प्रभाग 43
- मंज़िल (कहानी) –अबरार मुहसिन 45
- हज : मानव समानता एवं वैश्विक भाईचारा –डॉ. फ़रहत हुसैन 48

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

जलवायु और जवाबदेही

जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की पर्यावरणीय समस्या नहीं रही—यह एक तात्कालिक और गंभीर वास्तविकता है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रही है। बढ़ते तापमान से लेकर अनियमित मौसम तक, इसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन सभी को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विशाल देश में, जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और भौगोलिक विविधता भी अधिक है, इसके प्रभाव और भी ज़्यादा गहरे हैं।

जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के मौसम और जलवायु पैटर्न में लंबे समय तक होने वाला बदलाव, जो मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण जैसे कार्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ाते हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। हालांकि प्राकृतिक कारण भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो तेज़ बदलाव हो रहा है, वह अधिकतर मानव गतिविधियों का परिणाम है।

भारत की स्थिति जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ओर देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी है। भारत की कृषि काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए वर्षा के पैटर्न में बदलाव का सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन और किसानों के जीवन पर पड़ता है। हाल के वर्षों में मानसून की अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कभी सूखा, तो कभी बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पानी की कमी देखी गई है, जबकि असम और बिहार जैसे क्षेत्रों में बार-बार बाढ़ आती है।

बढ़ता तापमान भी एक गंभीर समस्या है। हीटवेव यानी लू की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं, जो विशेष रूप से बुज़ुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए ख़तरनाक हैं। तटीय शहर जैसे मुंबई और चेन्नई, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण ख़तरे में हैं, जिससे बाढ़, भूमि कटाव और आजीविका का नुक़सान हो सकता है। हिमालयी क्षेत्र, जिसे भारत का "जल टावर" कहा जाता है, वहां भी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता पर भी असर डालता है। कृषि उत्पादन में कमी से खाद्यान्नों की क़ीमतें बढ़ सकती हैं और ग़रीबी बढ़ सकती है। बदलते मौसम के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचे को नुक़सान होता है, लोगों का विस्थापन होता है और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।

इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और स्थानीय प्रयास दोनों आवश्यक हैं। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर सकारात्मक क़दम उठाए हैं। नेशनल सोलर मिशन जैसे प्रयास जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) पर निर्भरता कम करने में मदद करते हैं। फिर भी, अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है।

समाधान के लिए हमें उत्सर्जन कम करने (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) दोनों पर ध्यान देना होगा। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा की बचत और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना ज़रूरी है। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही, जल प्रबंधन, जलवायु-समर्थ कृषि और मज़बूत बुनियादी ढांचे का निर्माण भी आवश्यक है। इस संबंध में ज़रूरी है कि राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनों को प्रभावी बनाया जाए और विकसित एवं विकासशील देशों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाए।

जलवायु परिवर्तन वास्तव में, एक ऐसी चुनौती है, जिस पर तुरंत ध्यान देने और ठोस क़दम उठाने की आवश्यकता है। भारत के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर भी उतना ही बड़ा है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़े। ■■

क़ुरआन



–संपादन प्रभाग

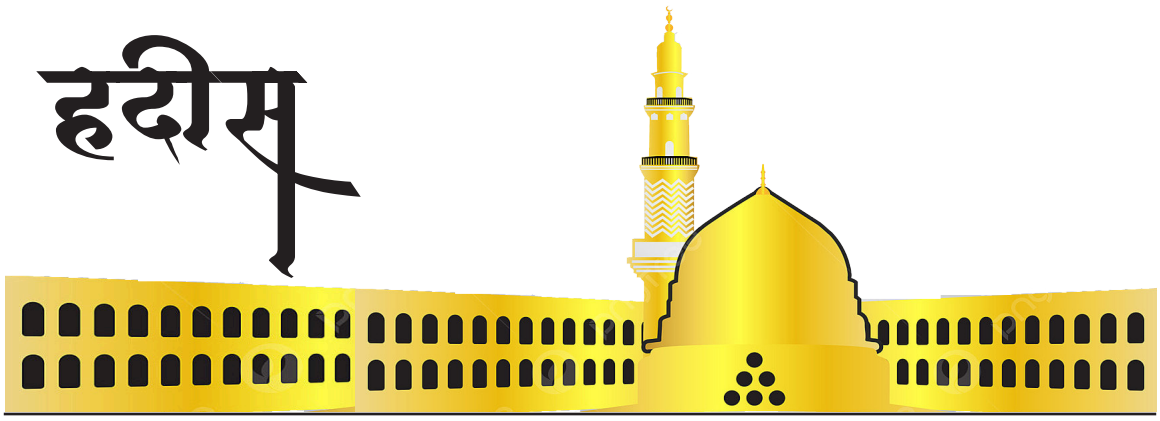
कमज़ोर सहारे

"ऐ लोगो ! एक उदाहरण दिया जाता है, उसे ध्यान से सुनो। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते और यदि मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद मांगने वाले भी कमज़ोर और जिनसे मदद की गुहार लगाई गई वे भी कमज़ोर। उन्होंने अल्लाह की क़द्र (उच्चता) नहीं पहचानी जैसे कि उसकी क़द्र पहचाननी थी। निश्चय ही अल्लाह अत्यन्त बलवान प्रभुत्वशाली है।"

(क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयतें-73,74)

व्याख्या : अल्लाह को छोड़कर अज्ञानतावश लोग जो अन्य पूज्य और उपास्य बनाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं उनकी स्थिति को एक सुन्दर उपमा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वे एक मक्खी जैसी छोटी-सी चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना तो दूर वे मक्खी से अपनी चीज़ वापस भी लेने की शक्ति नहीं रखते। सहायता चाहने वाला तो इसलिए किसी उच्च शक्ति की ओर सहायता पाने की गुहार लगाता है क्योंकि वह कमज़ोर है, मगर इस उद्देश्य के लिए वह जिनके आगे हाथ फैला रहा है उनकी कमज़ोरी का हाल यह है कि वे एक मक्खी से भी नहीं निमट सकते। वास्तव में यह मानवता का अपमान है कि वे अपने मालिक, दयावान प्रभु को छोड़कर ऐसे कमज़ोर सहारों पर भरोसा करें।

दूसरे वाक्य में एक महान तथ्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसपर आत्मसात की ज़रूरत है–"उन्होंने अल्लाह की क़द्र (उच्चता, श्रेष्ठता, बड़ाई) को पहचाना ही नहीं जैसा कि वास्तव में पहचानना चाहिए था।" इस विशालकाय जगत पर तनिक भी नज़र घुमाएं तो उसका साम्राज्य, उसका सामर्थ्य, उसका प्रभुत्व सहज ही दिखाई पड़ जाता है। उसकी दयालुता, कृपाशीलता और अनुकम्पा के हम स्वयं साक्षी हैं जिसे हमें पूर्णरूप से स्वीकार करना चाहिए। अत: सर्वशक्तिमान ईश्वर की उच्चता एवं श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उसी पर आस्था रखनी चाहिए तथा उसी का आज्ञापालन करना चाहिए। ■■



सच्चा सहारा

"जब तुम मांगो तो ईश्वर ही से मांगो, और जब मदद चाहो तो ईश्वर ही से मदद चाहो।" (हदीस : जामे तिर्मिज़ी-2516)

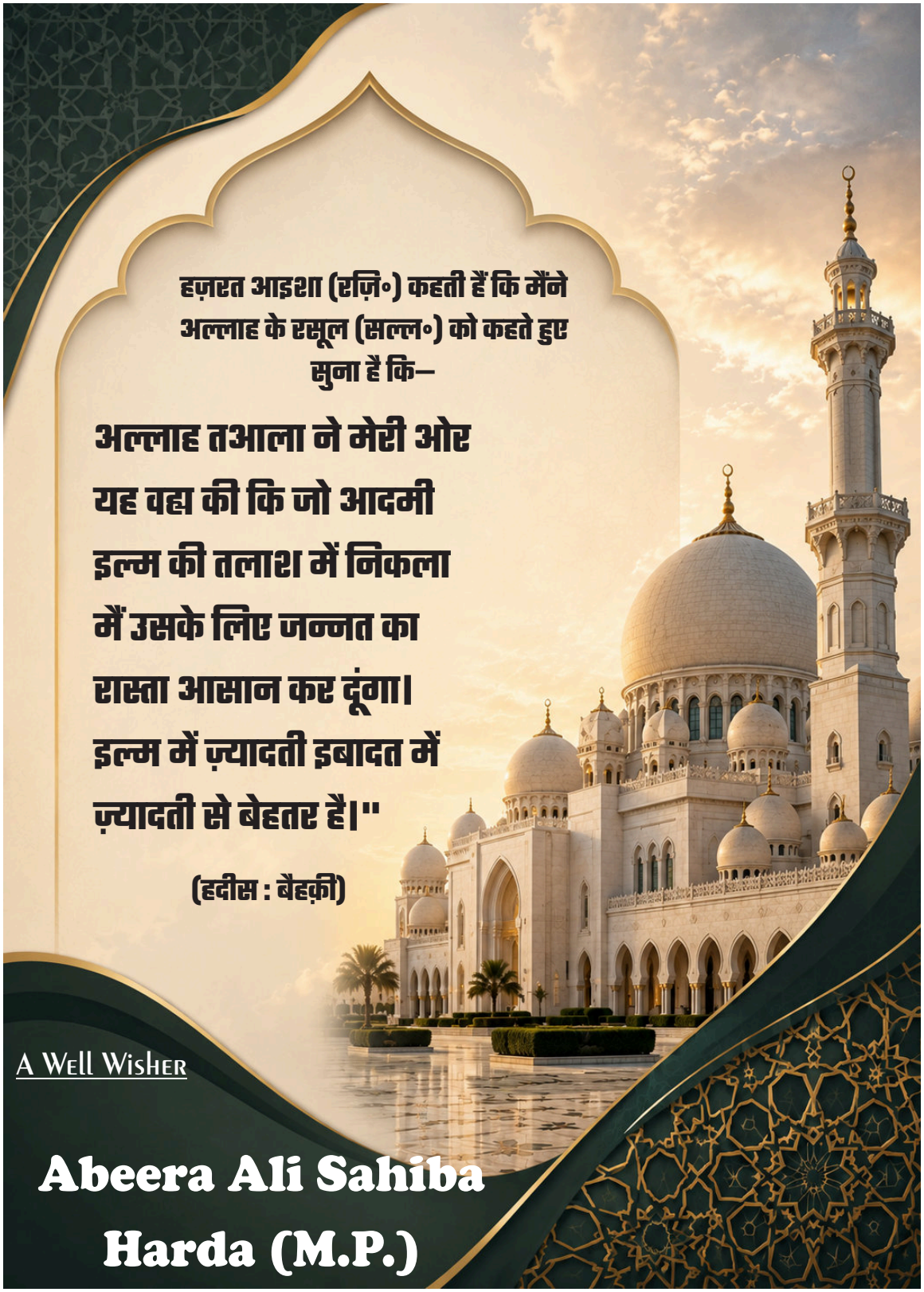
व्याख्या : यह हदीस इंसान के भीतर तौहीद (एकेश्वरवाद), भरोसे और आत्मिक स्वतंत्रता की भावना पैदा करती है। इसमें पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) द्वारा यह शिक्षा दी है कि इंसान की वास्तविक आशा, भरोसा और सहायता की अपेक्षा केवल अपने पालनहार से होनी चाहिए। संसार के लोग, साधन और शक्तियां स्वयं सीमित और असहाय हैं; वे तभी कुछ कर सकते हैं जब ईश्वर चाहे। इसलिए किसी भी आवश्यकता, संकट, भय या उम्मीद में सबसे पहले उसी की ओर रुख़ करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान दुनिया के साधनों या लोगों से वैध सहयोग न ले, बल्कि वास्तविक भरोसा उन साधनों पर नहीं बल्कि उस सत्ता पर हो जिसने उन साधनों को पैदा किया है। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, यह उचित है, लेकिन शिफ़ा देने वाला वास्तव में ईश्वर है। किसान खेत में बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन फ़सल उगाने वाली शक्ति अंततः उसी की है।

यह हदीस इंसान को मानसिक ग़ुलामी से भी मुक्त करती है। जब व्यक्ति केवल ईश्वर से उम्मीद रखता है, तो वह लोगों की ख़ुशामद, झूठे सहारों और कमज़ोर शक्तियों के आगे झुकने से बच जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सबसे बड़ी शक्ति उसके साथ है।

इस हदीस का एक गहरा नैतिक पक्ष भी है। जब इंसान हर सहायता के लिए केवल अपने प्रभु की ओर झुकता है, तो उसके भीतर विनम्रता, धैर्य, सब्र और संतुलन पैदा होता है। वह अहंकार में नहीं डूबता और न ही किसी अस्थायी शक्ति से भयभीत होता है।

वर्तमान समय में जबकि लोग धन, सत्ता, प्रसिद्धि और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपना सबसे बड़ा सहारा समझने लगे हैं, यह हदीस याद दिलाती है कि संसार की हर शक्ति सीमित है। स्थायी, अटूट और वास्तविक सहारा केवल वही सत्ता है जो पूरी सृष्टि की मालिक है। ■■


हज़रत आइशा (रज़ि०) कहती हैं कि मैंने
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को कहते हुए
सुना है कि–
अल्लाह तआला ने मेरी ओर
यह वह्य की कि जो आदमी
इल्म की तलाश में निकला
मैं उसके लिए जन्नत का
रास्ता आसान कर दूंगा।
इल्म में ज़्यादती इबादत में
ज़्यादती से बेहतर है।"
(हदीस : बैहक़ी)
A Well Wisher
Abeera Ali Sahiba
Harda (M.P.)

जीवन आदर्श

अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.)

मक्का में बढ़ती हिंसा और अत्याचार



❖मुशर्रफ़ अली

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को अल्लाह के दीन को फैलाने का काम करते हुए चार साल हो गये थे। विरोधियों द्वारा इसे रोकने की सारी तरकीबें अपनी जगह थीं, फिर भी इस्लाम की दावत तेज़ी से तो नहीं, मगर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे इस्लाम के पैग़म्बर और उनके साथियों के ख़िलाफ़ हिंसा और प्रताड़न का रास्ता अपनाएंगे। आरंभ में इस्लाम को अपनाने वाले अधिकतर लोग पारिवारिक और आर्थिक दोनों आधार पर कमज़ोर थे, इसलिए उनके ख़िलाफ़ यह काम तो आसान था, लेकिन स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के ख़िलाफ़ आसान नहीं था। इसका एक कारण तो यह था कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रतिष्ठित और प्रभावशाली था कि मित्र और शत्रु सभी आपको आदर और सम्मान की नज़र से देखते थे, कोई भी आपको अपमानित करने का साहस नहीं जुटा पाता था। दूसरा कारण यह था कि आपको अबू-तालिब का समर्थन प्राप्त था। अबू-तालिब मक्का के उन गिने-चुने लोगों में थे, जो अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर इतने प्रतिष्ठित थे कि कोई भी उनके विरोध का दुस्साहस नहीं कर पाता था।

अलबत्ता हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का चचा अबू-लहब पहले भी आपको अपशब्द सुना चुका था। हज के अवसर पर भी वह आपके पीछे-पीछे चलता और जब आप लोगों को दीन की बातें बताते तो वहीं आपको बुरा-भला कहना शुरू कर देता। वह आपका पड़ोसी भी था। इस फ़ैसले के बाद उसने घर के अन्दर भी आपका जीना दूभर कर दिया। जब मुहम्मद (सल्ल.) अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे होते तो अबू-लहब और दूसरे पड़ोसी बकरी की ओझड़ी और दूसरी गंदगी इस तरह आपके घर में फेंकते कि वह आपके शरीर पर गिरती। कभी चूल्हे पर हांडी चढ़ी होती तो निशाना लेकर गंदगी हांडी में फेंक देते। आप कई बार उस गंदगी को लकड़ी पर उठाये हुए बाहर निकलते और बड़ी विनम्रता से कहते भाइयो! यह कैसा पड़ोस है? फिर गन्दगी को एक किनारे डाल देते।

लोग तरह-तरह से आपको परेशान करते। कोई देखते ही आपको गालियां बकने लगता। कोई नमाज़ पढ़ने से आपको रोकता। कोई धक्के मारकर गिरा देता, तो कोई आपके गले में चादर डालकर उसमें इतने बल देता कि आपका दम घुटने लगता। अर्थात् आपको शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न देने के जितने तरीक़े हो सकते थे, सारे अपनाये जा रहे थे। अबू-लहब की पत्नी जंगल से कांटेदार लकड़ियां चुन लाती और उसे आपके दरवाज़े पर इस तरह रख देती कि जब आप

सुबह अंधेरे मुंह घर से निकलते तो कांटे आपको चुभ जाते और आपके दामन से उलझ जाते।

एक बार जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे तो अबू-लहब और उसके साथियों ने ऊंट की ओझड़ी आपकी पीठ पर डाल दी थी। आप (सल्ल.) सजदे की ही हालत में रहे, आपने सर न उठाया। यहां तक कि आपकी सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा को इसकी ख़बर मिली। वे बहुत छोटी थीं, घर से भागती हुई आयीं और पिता की पीठ से ओझड़ी हटाकर फेंकी, तब आपने सर उठाया। यह पहला मौक़ा था कि आपने गंदगी डालने वालों को बद्दुआ दी और एक-एक का नाम लेकर कहा कि 'या अल्लाह तू इन्हें पकड़ ले'।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की बद्दुआ सुनकर वे सारे बुरी तरह डर गये। वे आप (सल्ल.) का विरोध तो करते थे, क्योंकि आपके अभियान की चोट उनके आर्थिक हितों और चौधराहट पर पड़ रही थी, लेकिन उनका विश्वास था कि आप सच्चे ईशदूत हैं। वे आपको झूठा नहीं समझते थे। वे जानते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी अपने लाभ के लिए कोई छोटा-से-छोटा झूठ नहीं बोला, वह इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि इसमें उसका कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन इसे मान लेने का मतलब अपने सारे अनुचित सांसारिक हितों का त्याग था, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। वे यह भी समझते थे कि यह अल्लाह का नबी है और अल्लाह इसके साथ है, इसलिए इसकी बद्दुआ ख़ाली नहीं जाएगी। उनकी यह भी आस्था थी कि कोई पीड़ित अगर काबा में आकर अल्लाह से दुआ करे, तो उसकी दुआ ज़रूर सुनी जाती है। उन लोगों का यह डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ ही समय बीता था कि लोगों ने देख लिया कि उनमें से कोई भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सका। उन सबको एक ही दिन मौत आयी और ऐसी बुरी मौत आयी कि उन्हें न कफ़न नसीब हुआ और न क़ब्र।

शुरू में मक्का के लोग आप (सल्ल.) का विरोध तो करते थे, क्योंकि आपके अभियान की चोट उनके आर्थिक हितों और चौधराहट पर पड़ रही थी, लेकिन उनका विश्वास था कि आप सच्चे ईशदूत हैं। वे आपको झूठा नहीं समझते थे। वे जानते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी अपने लाभ के लिए कोई छोटा-से- छोटा झूठ नहीं बोला, वह इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि इसमें उसका कोई लाभ भी नहीं है।

यह तो इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) के साथ मक्का के बहुदेववादियों का व्यवहार था और इस्लाम के अनुयायियों के साथ तो उन्होंने दुश्मनी और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। दुनिया में कहीं भी किसी मानव समुदाय पर कम ही इतना अत्याचार किया गया है, जितना नुबूवत के आरंभिक काल में मक्का में इस्लाम के अनुयायियों पर किया गया। हर क़बीला अपने मुसलमान हो जाने वाले व्यक्ति को हर तरह की यातनाएं दे रहा था और ऐसे लोग जिनका कोई क़बीला नहीं था अर्थात् जो ग़ुलाम थे या परदेसी थे उनपर ऐसे-ऐसे अत्याचार किये जाते थे कि शब्द 'अत्याचार' उसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है।

जब कोई प्रतिष्ठित और शक्तिशाली व्यक्ति मुसलमान होता तो मक्का के बड़े लोग जी भर कर उसका अपमान करते और उसपर आर्थिक और सामाजिक प्रतिबंध लगा देते। उसके अपने क़बीले वाले उसे मारते-पीटते और तरह-तरह की यातनाएं देते।

जब मक्का के बड़े व्यापारी उस्मान मुसलमान हुए तो उनका चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेटकर बांध देता और नीचे से धुआं देता। मुसअब-बिन-उमैर, जो एक नवजवान रईसज़ादे थे और बड़े ही नाज़ व नेमत से पले थे, जब ईमान लाये तो उनका सबसे ज़्यादा लाड करने वाली मां ने ही उनका खाना-पानी बन्द कर दिया और कपड़े उतरवाकर उन्हें घर से निकाल दिया। वह बेचारे कभी कठोर हालात से नहीं गुज़रे थे, उनके शरीर की ख़ाल ऐसे उतरने लगी जैसे सांप की केंचुली उतरती है।

बिलाल उमैया के ग़ुलाम थे, उमैया उनकी गरदन में रस्सी बांध कर बिगड़ैल लड़कों के हवाले कर देता, वे उन्हें मक्का के पहाड़ों में घुमाते फिरते। रस्सी से उनके गरदन की ख़ाल के बाद मांस भी कट जाता। उमैया भी उन्हें चिलचिलाती धूप में जबरन बिठा कर दोनों हाथों से डंडे मारता। उससे भी आगे बढ़कर वह उन्हें पथरीली ज़मीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता।

ख़ब्बाब-बिन-अरत उम्मे-अम्मार के ग़ुलाम थे। इस्लाम क़ुबूल करने के बाद उन्हें दहकते अंगारों पर लिटा दिया जाता और ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाता, ताकि वे उठकर भाग न सकें। वे अंगारों पर पड़े रहते यहां तक कि जलने से

उनके शरीर से जो पानी निकलता उससे आग बुझ जाती।

इस्लाम क़ुबूल करने वाली ग़ुलाम महिलाओं को भी ऐसी ही यातनाएं दी जातीं। अम्मार की मां सुमैया जब ईमान लायीं तो अबू-जहल ने उनके गुप्तांगों पर बर्छी मार-मारकर उनकी जान ले ली।

अल्लाह के मार्ग में यातनाएं सहने वालों की ये मात्र कुछ बानगियां हैं। सच्चाई यह है उस दौर में जिसने भी इस्लाम को अपनाया उसने कठोर अमानवीय यातनाएं सहीं। एक-एक का वर्णन करना न लेखक के वश में है और न उसे पढ़ पाना किसी पाठक के वश में होगा।

यह सब कुछ होता रहा मगर मुसलमानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं जतायी गयी। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने मुसलमानों को धैर्य से काम लेने की शिक्षा दी। यहां तक कि आपने मुसलमानों को लोगों के सामने दीन का इज़हार करने से भी रोक दिया। गुप्त रूप से आप मुसलमानों के प्रशिक्षण का काम करते रहे। यह प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, इस्लाम क़ुबूल करने वालों के दिलों में इस्लाम को पूरी तरह दाख़िल करना बहुत ज़रूरी था। यह उसी प्रशिक्षण का नतीजा था कि इस्लाम क़ुबूल करने वाले सारी यातनाओं को सहन कर लेते थे, लेकिन किसी भी क़ीमत पर इस्लाम से फिरने को तैयार नहीं होते। बहुदेववादी यह देखकर भी परेशान थे कि इतनी यातनाओं के बावजूद मक्का में एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो इस्लाम क़ुबूल करने के बाद उससे फिर गया हो। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथी अपनी इबादतें और अपनी प्रशिक्षण सभाएं गुप्त रूप से करते थे, हां अल्लाह के रसूल (सल्ल.) इबादतें भी खुलेआम करते थे और बहुदेववादियों को दीन की ओर बुलाने का काम भी करते थे, क्योंकि अल्लाह ने आपको यह ज़िम्मेदारी सौंप रखी थी। मुसलमानों को अपनी दीनी गतिविधियों के लिए उद्दंडों की नज़र से दूर सफ़ा की पहाड़ी पर अरक़म मख़ज़ूमी नाम के एक मुसलमान ने अपना एक बड़ा मकान दे दिया था।

अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और आपके साथी मक्का में लोगों के साथ रहते और उनके साथ मधुर सम्बंध बनाए रखते। उनकी सेवा का कोई अवसर भी हाथ से जाने न देते। अगर कभी रास्ते में कोई कमज़ोर, बूढ़ा या महिला भारी सामान लेकर जाती मिल जाती तो उसका सामान उठाकर उसकी बतायी हुई जगह तक पहुंचा देते। ऐसे ही एक अवसर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को एक बार रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली जो सर पर भारी गठरी लेकर जा रही थी। आपने उससे गठरी ले ली और उसके साथ चलने लगे। वह भारी बोझ उठाकर बहुत थक गयी थी, अब जब उसे एक हमदर्द मिल गया तो वह आपको दिल से दुआएं देने लगी। रास्ते में उसने बताया कि यहां मुहम्मद नाम का एक आदमी है, जो लोगों के पारंपरिक धर्म का दुश्मन बना हुआ है। वह कहता है कि इन सारे देवताओं की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की बन्दगी करो। यहां के लोग उससे बहुत परेशान हैं, तुम भी सावधान रहना। वह वृद्धा आपको नहीं पहचानती थी और आपने भी उससे अपनी सफ़ाई में कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। गंतव्य पर पहुंचकर जब आपने उसकी गठरी उतार दी और विदा होने लगे तो उसने आपका नाम पूछ लिया। आपने बड़ी विनम्रता से अपना नाम बताया। आपके व्यवहार से प्रभावित होकर वह यह सोचने पर मजबूर हुई कि आपके बारे में जो बातें फैलायी जा रही हैं, वे सत्य नहीं हो सकतीं।

उन्हीं दिनों की एक और घटना है कि एक महिला का घर उस रास्ते पर था, जिससे अल्लाह के नबी (सल्ल.) रोज़ गुज़रते थे। वह महिला दिन भर का कूड़ा-करकट इकट्ठा करके रखती थी और जब आप उसके सामने से होकर निकलते तो आपके ऊपर डाल देती। आप उससे कुछ नहीं कहते, बल्कि अपने कपड़े झाड़ कर आगे बढ़ जाते। एक दिन जब आप उसके घर के आगे से निकले तो आप पर कूड़ा नहीं डाला गया। आपने ठहर कर देखा तो वह महिला भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर आपने लोगों से उसके बारे में पूछा, तो पता चला कि वह बीमार है। यह सुनकर आप उसके घर गये। (यह बात पर्दा का आदेश आने के बहुत पहले की है) उसकी ख़ैरियत पूछी और अल्लाह से उसके स्वास्थ्य के लिए दुआ की। ■■

कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।



"मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वह उसपर अत्याचार करे और न उसे तबाही के हवाले करे। जो व्यक्ति अपने भाई की आवश्यकतापूर्ति के काम में लगा रहेगा, अल्लाह उसकी आवश्यकतापूर्ति के काम में लगा रहेगा। और जो व्यक्ति किसी मुसलमान पर से कोई विपत्ति दूर करेगा, अल्लाह क़ियामत की मुसीबतों में से कोई मुसीबत उसपर से दूर करेगा। और जो कोई मुसलमान के अवगुणों पर परदा डालेगा, अल्लाह क़ियामत के दिन उसके अवगुणों पर परदा डालेगा।"

(हदीस : मुस्लिम)

A Well Wisher

MK Mohammed

Andaman & Nicobar Islands

प्रतिबद्धता और प्रयास

❖आयशा सुल्ताना

मनुष्य के जीवन में सफलता किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, निरंतर प्रयास और अटूट संकल्प की उपज होती है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय, धैर्य और अनवरत पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने भीतर दृढ़ निष्ठा और कर्मठता का विकास करना पड़ता है। आज के इस तेज़-तर्रार और विचलनों से भरे युग में, जहां हर क्षण ध्यान भटकाने वाले अनेक साधन मौजूद हैं, वहां प्रतिबद्धता और प्रयास का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला भी है।

प्रतिबद्धता का अर्थ मात्र किसी कार्य को आरंभ करना नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण को बनाए रखना है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, तब उसके लिए कठिनाइयां भी प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। वह समस्याओं को अवरोध नहीं, बल्कि चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। प्रतिबद्धता व्यक्ति को दिशा देती है, उसे भटकने से बचाती है और उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न करती है, जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े उत्साह के साथ किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण प्रतिबद्धता का अभाव है। यदि हमारे भीतर अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं है, तो हम थोड़ी-सी कठिनाई आने पर ही हार मान लेते हैं। हम बहाने ढूंढ़ने लगते हैं और अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर देती है।

प्रयास, प्रतिबद्धता का दूसरा पहलू है। केवल संकल्प लेना पर्याप्त नहीं है, उसे कार्यरूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। प्रयास वह साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और योजनाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। बिना प्रयास के कोई भी लक्ष्य केवल कल्पना बनकर रह जाता है। प्रयास का अर्थ है—निरंतरता, अनुशासन और धैर्य के साथ अपने कार्य को करते रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हों।

यह समझना आवश्यक है कि सफलता का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। इसमें अनेक बाधाएं, असफलताएं और निराशाएं आती हैं। लेकिन यही वे क्षण होते हैं, जो हमारे धैर्य और प्रतिबद्धता की परीक्षा लेते हैं। यदि हम इन परिस्थितियों में भी अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो अंततः सफलता हमारे क़दम चूमती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने कभी भी अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें कितनी ही बार असफलता का सामना क्यों न करना पड़ा हो।

प्रतिबद्धता और प्रयास का संबंध केवल बाहरी सफलता से नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतोष और आत्मविकास से भी जुड़ा हुआ है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। यह संतोष किसी बाहरी उपलब्धि से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को बढ़ाता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

वर्तमान समय में, जब त्वरित सफलता की चाहत ने लोगों को अधीर बना दिया है, तब प्रतिबद्धता और प्रयास का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोग बिना मेहनत के, शॉर्टकट के माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ऐसी सफलता स्थायी नहीं होती। सच्ची और स्थायी सफलता केवल वही होती है, जो निरंतर प्रयास और दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ बनाए रखती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ-साथ अपने नैतिक

मूल्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध होता है, तब उसकी सफलता न केवल व्यक्तिगत होती है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणास्रोत बनती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान देते हैं।

प्रयास का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह व्यक्ति को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी कार्य में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहते हैं, तो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपनी ग़लतियों को सुधारते हैं और अपने कौशल को विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया हमें निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाती है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिबद्धता और प्रयास केवल बड़े लक्ष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के छोटे-छोटे कार्यों में भी आवश्यक हैं। जब हम अपने दैनिक कार्यों को भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो यह हमारी आदत बन जाती है। यह आदत ही हमें बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। इसलिए, हमें अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिबद्धता और प्रयास को अपनाना चाहिए।

यह आयतें प्रतिबद्धता और प्रयास के सिद्धांत को अत्यंत सशक्त रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसमें यह संदेश निहित है कि बिना सच्चे प्रयास के कोई भी उपलब्धि संभव नहीं, और हर कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईमानदारी, सब्र (धैर्य) और निरंतर कोशिश करने वालों के साथ ईश्वर की सहायता होती है। इसलिए, जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा और नेक नीयत के साथ प्रयास करता है, तो उसका हर क़दम केवल सफलता की ओर नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और उच्च उद्देश्य की ओर भी अग्रसर होता है।

समाज में भी प्रतिबद्धता और प्रयास का महत्व अत्यधिक है। एक प्रतिबद्ध और कर्मठ व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। वह अपने कार्यों के माध्यम से यह संदेश देता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ऐसे लोग समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वस्तुतः प्रतिबद्धता और प्रयास सफलता के दो ऐसे स्तंभ हैं, जिनके बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यह केवल बाहरी उपलब्धियों का मार्ग नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास और आत्मसंतोष का भी आधार है। हमें यह समझना होगा कि सफलता एक प्रक्रिया है, जो समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करती है।

इसलिए, यदि हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करना होगा। हमें अपने संकल्पों को गंभीरता से लेना होगा और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सार्थक और सफल जीवन जी सकते हैं। प्रतिबद्धता हमें दिशा देती है, और प्रयास हमें गति देता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तो सफलता केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है।

यदि उपरोक्त विमर्श को धार्मिक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का प्रयास केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसकी नीयत (इरादा) और उत्तरदायित्व से भी है।

क़ुरआन में कहा गया है—"और यह कि मनुष्य के लिए बस वही है जिसके लिए उसने प्रयास किया; और यह कि उसका प्रयास शीघ्र ही देखा जाएगा। फिर उसे पूरा बदला दिया जाएगा।" (सूरह अन-नज्म, 53:39-41)

यह आयतें प्रतिबद्धता और प्रयास के सिद्धांत को अत्यंत सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें यह संदेश निहित है कि बिना सच्चे प्रयास के कोई भी उपलब्धि संभव नहीं, और हर कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईमानदारी, सब्र (धैर्य) और निरंतर कोशिश करने वालों के साथ ईश्वर की सहायता होती है। इसलिए, जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा और नेक नीयत के साथ प्रयास करता है, तो उसका हर क़दम केवल सफलता की ओर नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और उच्च उद्देश्य की ओर भी अग्रसर होता है। ■■

जलवायु संकट : समझ, संतुलन और सहयोग

❖सुफ़ियान अहमद

इसमें कोई दो राय नहीं कि धरती का पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। गर्म हो रही धरती के प्रभाव 'समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक' महसूस किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में वैश्विक तापमान और बढ़ेगा। इसलिए दुनिया अगर अब भी नहीं संभली तो धरती को भयानक आपदाओं से बचा पाना लगभग असंभव हो जाएगा।

धरती को बचाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य दिन है जो 1973 से पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता जैसे मुद्दों पर कार्यवाही करना है।

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कोई एक देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अवधारणा है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा के साथ बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ा है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी (लगभग साठ फ़ीसद) आज भी कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आज कृषि भी अछूता नहीं है। इसलिए खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखना बहुत ज़रूरी है। बदलते मौसम के प्रभाव से केवल फ़सलों का ही उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी है कि उच्च तापमान, सूखा, बाढ़ और मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण मध्य-पूर्व के कई देशों में कृषि को बड़े पैमाने पर नुक़सान हो सकता है। बदलते पर्यावरण के कारण खेती के सामने बड़ा संकट है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2040 तक तापमान 1।5 डिग्री तक बढ़ता है, तो फ़सलों की पैदावार पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से इस शताब्दी में दुनिया भर में भुखमरी, बाढ़ और नागरिकों का पलायन बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर तापमान में बढ़ोत्तरी होती है, तो एशियाई देशों में कृषि पैदावार तीस फ़ीसद तक नीचे आ सकती है। विकास की तीव्र आंधी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की अधिकांश आबादी के लिए रोज़ी-रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा।

वर्ष 2030 तक भुखमरी को ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य भी अधूरा रह सकता है। ग़ौरतलब है कि देश में पिछले चालीस वर्षों में वर्षा की मात्रा में निरंतर गिरावट आ रही है। बीसवीं सदी के आरंभ में औसत वर्षा 141 सेंटीमीटर थी, जो 1990 के दशक में घटकर 119 सेंटीमीटर रह गई है। गंगोत्री हिमनद भी प्रतिवर्ष सिकुड़ रहा है। नदियों में जल कम हो रहा है। पानी की कमी के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है।

एक तरफ़ जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ा है, तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष प्रभाव आय की हानि और अनाज की बढ़ती क़ीमतों के रूप में देखने को मिल रहा है। जबकि फ़सलों की उपज बढ़ाने में उपजाऊ मिट्टी, पानी, अनुकूल वातावरण और कीट-पतंगों से बचाव आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फ़सलों की पैदावार प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कई दशकों में तापमान बढ़ता गया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में तापमान बढ़ने पर उनकी उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूं, सरसों, जौ और आलू आदि इन फ़सलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान का बढ़ना इनके

लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार, ज़्यादा तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान आदि फ़सलों का नुक़सान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा तापमान के कारण इन फ़सलों में दाना नहीं बनता या फिर कम बनता है।

जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों- खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग और खाद्य प्रणाली स्थिरता को प्रभावित करेगा। यदि धरातल का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, तो हमारे सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तापमान की बढ़ती गति को देखें, तो आंकड़े बताते हैं कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3।7 डिग्री से 4।8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर होगा। उदाहरण के लिए आज जहां गेहूं, जौ, सरसों और आलू की खेती हो रही है, तापमान बढ़ने से इन फ़सलों की खेती नहीं हो सकेगी, क्योंकि इन फ़सलों को ठंडक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, धान या ज्वार आदि फ़सलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि इन फ़सलों में अधिक तापमान के कारण दाना नहीं बनता है अथवा कम बनता है। इससे इन फ़सलों की खेती करना असंभव हो सकता है।

इसके अतिरिक्त तापमान बढ़ने से वर्षा में कमी होती है। इससे मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ सूखे की संभावना भी बढ़ी है। इतना ही नहीं जलवायु परिवर्तन मिट्टी की सेहत को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बढ़ता तापमान प्राकृतिक नाइट्रोजन कम कर रहा है और इसे बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खादों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं जो मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रही है।

आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है और यह कहीं ज़्यादा, तो कहीं कम महसूस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में भारत शीर्ष बीस देशों में शामिल है। पिछले चार दशकों में हमारी धरती का तापमान 0।5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसके कारण बाढ़, सूखे और तूफ़ान जैसी क़ुदरती आपदाएं भी बढ़ी हैं। चूंकि अपने देश में ज़्यादातर किसानों के पास छोटा रक़बा है, इसलिए इन आपदाओं के कारण उनकी आमदनी बुरी तरह गिर रही है। भारत के लिए यह और अधिक चिंता की बात है, क्योंकि हमारे यहां साठ फ़ीसद जनसंख्या खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। कृषि ही उनके जीवनयापन का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ा कर रहा है। वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी बढ़कर साढ़े नौ अरब हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि हमें दो अरब अतिरिक्त लोगों के लिए 70 फ़ीसद ज़्यादा भोजन पैदा करना होगा।

इसलिए अब खाद्य और कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा और इसे ज़्यादा उपजाऊ तथा टिकाऊ बनाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में कृषि के विभिन्न तरीक़ों का पुनरावलोकन कर पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल वांछनीय है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ कृषि के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए भी ख़तरे के रूप में सामने आ रहा है। लिहाज़ा कोई भी देश इसके असर से बच नहीं सकता।

निस्संदेह यह चिंता की बात है कि बढ़ते तापमान का संकट बहुत गहरा है। यह भारत के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे तरीक़ों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है, जिनसे हमारे कृषक जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करते हुए फ़सलों का उत्पादन कर सकें और उन्हें समुचित लाभ भी मिल सके। साथ ही, कृषि से उनका मोह भंग भी न हो। चूंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक-देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसलिए इनमें कमी लाने के लिए सभी स्तरों पर ठोस उपायों की ज़रूरत है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि—जलवायु परिवर्तन न केवल कृषि के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए ख़तरा है। कोई भी देश इसकी आंच से बच नहीं सकता।

आवश्यकता इस बात की भी है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित और विकासशील देशों की ज़िम्मेदारियों और लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस और अर्थ-डे जैसे आयोजन तभी सार्थक बन सकेंगे, जबकि सभी देशों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाए। तमाम देशों को यह समझना होगा कि यह पूरी दुनिया का साझा एजेंडा है। जब तक पर्यावरण बिगाड़ने का ठीकरा ग़रीब देशों पर फूटता रहेगा जलवायु की यह चुनौती दुष्कर बनी रहेगी। यदि विकसित देश यह चाहते हैं कि विकासशील देश स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करें तो उन्हें इनकी मदद के लिए आगे आना होगा। ■■

विशेष आयोजन

पर्यावरण की क़ीमत पर विकास की अंधी दौड़

❖डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

"यदि विकास जीवन को ही संकट में डाल दे, तो वह विकास नहीं, विनाश है।"

भारत समेत पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां "विकास" की परिभाषा जितनी तेज़ी से विस्तृत हुई है, उतनी ही तेज़ी से उसकी पर्यावरणीय क़ीमत भी बढ़ती जा रही है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा परियोजनाएं—ये सब आज प्रगति के प्रतीक बन गए हैं। पर सवाल इतना तीख़ा होता जा रहा है कि क्या यह प्रगति वास्तव में मानव जीवन को बेहतर बना रही है, या वह उस आधार को ही खोखला कर रही है जिस पर मानवजाति टिकी है।

आज इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ़ आंकड़ों में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी साफ़ दिखने लगा है। दोपहर से पहले ही शहरों की सड़कें सन्नाटे से भर जाती हैं, डामर धूप में तपकर पिघलने लगता है, और अस्पताल युद्ध के घायलों से नहीं, बल्कि गर्मी से जूझते शरीरों से भरने लगते हैं। दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों में यह मात्र आशंका नहीं, बल्कि एक जीती-जागती वास्तविकता बन चुकी है—जहां वैज्ञानिकों की रिपोर्टों में तापमान 55°C जैसे भयावह स्तर को छूने की चेतावनी सामने आ रही है।

ऐसी परिस्थिति में यह समझना आसान हो जाता है कि अब यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं रहा; यह उन सामूहिक—औद्योगिक, आर्थिक और नीतिगत—निर्णयों का परिणाम है, जो दशकों से लिए जा रहे हैं। जलवायु संकट की जड़ों में न केवल जीवाश्म ईंधन की उत्पीड़नपूर्ण निर्भरता, बल्कि ऐसी नीतियां भी शामिल हैं जो उस निर्भरता को और गहरा कर रही हैं।

मानव निर्मित संकट और नीतिगत विडंबना

जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है : जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक उत्सर्जन और अनियंत्रित संसाधन दोहन ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। फिर भी, भारत समेत कई देशों में नीतिगत स्तर पर कोयला खनन के विस्तार, बड़े बांधों और तापीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलती रही है।

एक ओर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं दोहराई जाती हैं, दूसरी ओर घरेलू नीतियां अक्सर उनके विपरीत बनाई जाती हैं। यह विरोधाभास केवल प्रशासनिक कमज़ोरी नहीं; यह विकास की उस सोच का नतीजा है जो प्रकृति को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क़ुर्बान करने योग्य मान बैठी है। जलवायु संकट को "विकास की क़ीमत" कहकर उसे सहज स्वीकार्य बनाने की नीतिगत आदत ने यह जानकारी ही छिपा दी कि यह क़ीमत ज़मीन, हवा, पानी और मानव स्वास्थ्य पर हर दिन भारी पड़ रही है।

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जंगलों का दोहन

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है, पर इसके साथ वनों की कटाई और जैव विविधता का क्षरण भी तेज़ी से बढ़ा है। शहरों का विस्तार अक्सर हरित क्षेत्रों को निग़ल जाता है, और विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वन भूमि का 'डायवर्ज़न' किया जाता है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) जैसी प्रक्रियाएं जिनका उद्देश्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना और कम करना था, उन्हें नीतिगत ढील और नियम संशोधनों ने कमज़ोर कर दिया है। जन सुनवाई की प्रक्रियाएं सीमित होती जा रही हैं, और प्रभावित समुदायों की आवाज़ अक्सर मात्र औपचारिकता बनकर रह जाती है।

यह केवल पेड़ों का नुक़सान नहीं; यह उन समुदायों के जीवन, संस्कृति और आजीविका का भी विघटन है जो इन जंगलों पर निर्भर हैं। चारधाम परियोजना जैसी विवादास्पद योजनाएं दिखाती हैं कि "राष्ट्रीय हित" के नाम पर जो भूमि अधिग्रहण होता है, वह आदिवासी और ग्रामीण जीवन को अस्थिर और अधिक कठिन बनाता है।

उपभोक्तावाद और कार्बन का बढ़ता बोझ

आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर आधारित है। "अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग" का यह चक्र न केवल संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी तेज़ी से बढ़ा रहा है। निजी वाहनों की

बढ़ती संख्या, प्लास्टिक और ई-वेस्ट का अंबार और ऊर्जा पर निर्भर जीवनशैली इस संकट को गहरा कर रही हैं।

राज्य की नीतियां भी कई बार इस उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं—चाहे वह शहरी ढांचे का निजी वाहनों के अनुकूल निर्माण हो या बड़े औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन। इस बात से अब इन्कार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण संरक्षण केवल व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह नीतिगत प्राथमिकताओं का भी प्रश्न बन गया है।

विकास मॉडल की सीमाएं और छिपी हुई क़ीमत

GDP केन्द्रित विकास मॉडल की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह पर्यावरणीय नुक़सान को अपने गणित में शामिल ही नहीं करता। जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, वायु गुणवत्ता का गिरना—ये सब हमारे "विकास" के आधिकारिक आंकड़ों में कहीं दर्ज नहीं होते, फिर भी ये रोज़ लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इस मॉडल में पर्यावरणीय नुक़सान को "कोलैटरल डैमेज" मान लिया जाता है, यानी एक अपरिहार्य बलिदान। पर जब यह बलिदान स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों को गहरा नुक़सान पहुंचाने लगता है, तो इसकी वास्तविक क़ीमत आंकड़ों से कहीं अधिक होती है।

विकास और पर्यावरण को आमने-सामने खड़ा करना अब बेमानी हो गया है। जैसे-जैसे जलवायु संकट गहरा रहा है, यह बात और स्पष्ट होती जा रही है कि वास्तविक प्रश्न "पर्यावरण या विकास" का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या अब भी हम विकास का ऐसा मॉडल चुन सकते हैं जो दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे।

एक नैतिक आईना : पर्यावरणीय संकट पर आत्म-मंथन की ज़रूरत

यहीं पर विमर्श केवल वैज्ञानिक या नीतिगत नहीं रह जाता; यह एक गहरे नैतिक प्रश्न में बदल जाता है। लगभग पंद्रह सदियों पहले क़ुरआन ने एक ऐसी चेतावनी दी थी जो आज के जलवायु संकट में अपने-आपको असाधारण स्पष्टता से प्रतिध्वनित करती है–

"ज़मीन और समुद्र में बिगाड़ प्रकट हो गया है, लोगों के अपने हाथों की कमाई के कारण, ताकि वह उन्हें उनके किए का कुछ स्वाद चखा दे, शायद कि वे लौट आएं।" (30:41)

यह आयत आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में संवाद नहीं करती, पर एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है : जब मानव अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाता है, जब वह अपने संसाधनों के साथ बिना संयम के खेलने लगता है, तो उसका प्रभाव समाज से हटकर पूरी प्रकृति के ताने-बाने को भी असंतुलित कर देता है।

आज का जलवायु संकट उसी "फ़साद"—बिगाड़—का आधुनिक रूप प्रतीत होता है। बढ़ती गर्मी, अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र और कुछ क्षेत्रों का धीरे-धीरे रहने लायक़ न रह जाना—ये अलग-अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक ही गहरे असंतुलन की परस्पर जुड़ी अभिव्यक्तियां हैं।

इस्लामी परंपरा इस बिंदु पर एक महत्त्वपूर्ण नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने मानव को धरती का संरक्षक (ख़लीफ़ा) बताया—एक ऐसी हस्ती जिसे यह दुनिया एक अमानत के रूप में सौंपी गई है। उन्होंने संसाधनों के उपयोग में संयम की शिक्षा दी, यहां तक कि बहते हुए पानी के पास भी अपव्यय से मना किया। इस दृष्टिकोण में प्रकृति केवल "उपभोग की वस्तु" नहीं है, बल्कि वह एक अमानत और नैतिक ज़िम्मेदारी है।

वैश्विक असमानता और नैतिक दायित्व

वैश्विक स्तर पर यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि जलवायु संकट की ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी मुख्यतः विकसित देशों की है, जिन्होंने औद्योगिकीकरण के शुरुआती चरणों में विशाल मात्रा में कार्बन उत्सर्जित किया। फिर भी, यह तर्क विकासशील देशों को अपनी नीतिगत ग़लतियों से मुक्त नहीं रखता।

भारत जैसे देशों के सामने चुनौती दोहरी है : एक ओर ग़रीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास की ज़रूरत, दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की ज़िम्मेदारी। "पश्चिम ने जो किया, हम भी वही करेंगे" जैसा दृष्टिकोण आज के संदर्भ में न तो टिकाऊ है, न ही न्यायसंगत। भारत को यह रास्ता चुनना होगा कि वह विकास का एक वैकल्पिक, न्याय आधारित और पर्यावरण सम्मत मॉडल पेश करे, जहां ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु सुरक्षा दोनों एक साथ सामने आएं।

पर्यावरणीय न्याय : सबसे कमज़ोर पर सबसे अधिक बोझ

पर्यावरणीय संकट का सबसे गहरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो इसके लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं। आदिवासी समुदाय, छोटे किसान, तटीय इलाक़ों में बसे लोग—ये सभी विकास परियोजनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं।

भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं में भी न्याय का अभाव दिखाई देता है। प्रभावित

समुदायों की भागीदारी और सहमति के बिना लिए गए निर्णय न केवल नौकरशाही की कमज़ोरी दिखाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं। इसलिए पर्यावरणीय न्याय केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं; यह एक नैतिक और संवैधानिक आवश्यकता बन चुकी है।

भारत की दोहरी चुनौती और नीतिगत असंतुलन

भारत के सामने ऊर्जा की बढ़ती मांग, औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन जैसी वास्तविक ज़रूरतें हैं, जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। पर ये ज़रूरतें पूरी करने के नाम पर जो नीतिगत प्राथमिकताएं तय हो रही हैं, वे अधिकांशतः पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं से टकराती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति हुई है, पर वह अभी भी इतनी तेज़ और पारदर्शी नहीं है कि कोयला आधारित ऊर्जा से दूरी लेना आसान हो जाए। शहरी विकास की योजनाएं हरित क्षेत्रों और जल निकायों को पर्याप्त महत्व नहीं देतीं, जिससे शहर गर्म द्वीपों में बदलते जा रहे हैं। यह नीतिगत असंतुलन दीर्घकालिक जलवायु संकट और शहरी जीवन स्तर की गिरावट को जन्म दे सकता है। समाधान केवल आलोचना में नहीं, बल्कि नीतिगत वैकल्पिक रूप-रेखा प्रस्तुत करने में है।

टिकाऊ विकास (Sustainable Development) का अर्थ यह नहीं है कि विकास रुक जाए, बल्कि यह है कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के अधिकारों से समझौता न किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि नीतिगत ढांचा इतना मज़बूत हो कि "ग्रीन" शब्द केवल भाषणों तक ही सीमित न रहे, बल्कि निर्माण योजनाओं, ऊर्जा मिश्रण और शहरी नियोजन में स्पष्ट रूप से दिखे।

कुछ प्रभावी क़दम-

• नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) का व्यापक और त्वरित विस्तार—सौर, पवन और जल ऊर्जा को कोयला आधारित ऊर्जा के साथ-साथ नहीं, बल्कि उसकी जगह से आगे बढ़ाकर देखना; भारत के 500 गीगावॉट ग़ैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य और बाद में 1800 गीगावॉट तक जाने की योजना इसी दिशा का हिस्सा हैं।

• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और जन सुनवाई की प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाना, ताकि "कोर्स करेक्शन" निर्णय के बाद न हो, बल्कि उससे पहले ही संभव हो।

• स्थानीय समुदायों—आदिवासी, किसान, तटीय लोगों—की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि जिनकी ज़मीन, जल और संस्कृति दांव पर रहती है, उनकी आवाज़ नीतिगत दस्तावेज़ों में "सहमति" के रूप में न दर्ज हो, बल्कि वास्तविक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाए।

• शहरी नियोजन में हरित क्षेत्रों, जल निकायों और जल संचय को अनिवार्य तत्व बनाना—जलवायु प्रतिरोधी और प्रकृति सम्मानित शहरों की भावना को "स्मार्ट सिटी" और "विकसित भारत@2047" जैसी पहलों में शामिल करना।

• जनता के बीच "उपभोग" की संस्कृति को "संयम" की संस्कृति में बदलने के लिए जागरण अभियान—प्लास्टिक का उपयोग बड़े पैमाने पर सीमित करना, ई-वेस्ट का नियमित प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को टैक्स प्रोत्साहन और सार्वजनिक नीतियों के ज़रिए बढ़ावा देना।

वापसी की संभावना और ज़िम्मेदारी

इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि तापमान कितना बढ़ेगा, बल्कि यह है कि क्या मानवता इस बढ़ती गर्मी में एक चेतावनी सुन पाएगी। क़ुरआन की वही आयत, जो "फ़साद" का ज़िक्र करती है, एक विमोचन का भी द्वार खोलती है : "शायद वे लौट आएं।" यह "लौटना" केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं; यह एक व्यावहारिक दिशा भी है—शोषण से संरक्षण, अतिरेक से संतुलन और तात्कालिक लाभ से दीर्घकालिक ज़िम्मेदारी की ओर।

आज की गर्म होती दुनिया केवल एक जलवायु-परिवर्तन की घटना नहीं है; यह एक आईना है—जो हमारे निर्णयों, हमारी नीतियों और हमारी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। यदि विकास जीवन को ही संकट में डाल दे, तो वह विकास नहीं, विनाश है। और इस विनाश से वापसी—अब केवल वैकल्पिक नीतिकरण नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है, जिसमें नीतिगत बदलाव, आत्म मंथन और जन-जागरूकता साथ-साथ चलना चाहिए।

नीतिगत आलोचना यहां देश विरोध नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार नागरिकता का हिस्सा है : जो व्यवस्था हमारे जीवन को गर्म लहरों, जल संकटों और हवा प्रदूषण से धकेलती हो, उसे चुपचाप स्वीकार करना मानव गरिमा के ख़िलाफ़ है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन केवल भाषणों से नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों के बदले हुए ढांचे से आएगा—जहां प्रगति को न केवल GDP के आंकड़ों से नापा जाए, बल्कि इसमें वायु की शुद्धता, जल की उपलब्धता और मानव स्वास्थ्य की गुणवत्ता को भी शामिल किया जाए। ■■

“

जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे अलग हैं- जारी रहने वाला सदक़ा या ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।

(हदीस : मुस्लिम)

”

A Well Wisher

Abid Hussain

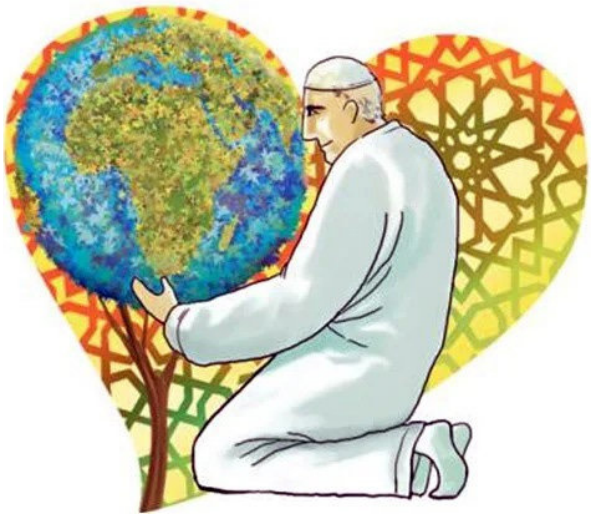
Kota (Raj.)

विशेष आयोजन

असंतुलन और आगे की राह

❖एफ. ए. मुजीब

ब्रह्मांड को यदि केवल आंखों से नहीं, बल्कि गहराई से समझने वाली दृष्टि से देखा जाए तो यह एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था के रूप में सामने आता है, जहां हर चीज़ अपने निश्चित नियम, उद्देश्य और संतुलन के साथ अस्तित्व में है। आकाश की अनंत विशालता से लेकर पृथ्वी पर रेंगते एक छोटे से जीव तक—हर तत्व एक ऐसे सूक्ष्म और व्यापक ताने-बाने में बंधा हुआ है, जिसे देखकर यह विश्वास और दृढ़ होता जाता है कि यह सृष्टि न तो अव्यवस्था का परिणाम है और न ही मात्र संयोग का खेल।



सूर्य का अपनी निश्चित कक्षा में रहना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन, दिन और रात का निरंतर चक्र—ये सभी घटनाएं किसी ऐसे नियम की ओर संकेत करती हैं जो न तो कभी टूटता है और न ही असंतुलित होता है। यदि इस व्यवस्था में थोड़ा-सा भी विचलन हो जाए तो जीवन की पूरी प्रणाली अस्त-व्यस्त हो सकती है। पृथ्वी का सूर्य से थोड़ा भी दूर या निकट होना, तापमान को इतना बदल सकता है कि जीवन असंभव हो जाए। यह सूक्ष्म संतुलन केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक गहरे अर्थ की ओर संकेत करता है।

इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) पर दृष्टि डालें तो वहां भी संतुलन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति और जीव-जंतु—सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक संतुलित चक्र में कार्य कर रहे हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे मनुष्य और पशु ग्रहण करते हैं। पशु और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे वृक्ष उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा परिपूर्ण चक्र है, जिसमें किसी भी तत्व की अति या कमी पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती है।

किन्तु विडंबना यह है कि जिस मनुष्य को इस व्यवस्था का सबसे जागरूक संरक्षक होना चाहिए था, वही आज इस संतुलन को सबसे अधिक क्षति पहुंचा रहा है। आधुनिक युग की प्रगति के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। वनों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, वायु में विषैले गैसों का उत्सर्जन और भूमि का अनियंत्रित शोषण—ये सब मिलकर उस संतुलन को तोड़ रहे हैं जिस पर जीवन टिका है।

आज हम जिस जलवायु परिवर्तन (climate change) का सामना कर रहे हैं, वह इसी असंतुलन का प्रत्यक्ष परिणाम है। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर का बढ़ना, असामान्य वर्षा, भयंकर सूखा और अप्रत्याशित तूफ़ान—ये सभी संकेत हैं कि प्रकृति का धैर्य अब सीमित होता जा रहा है। यह केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब संतुलन टूटता है तो उसका परिणाम केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानव सभ्यता की जड़ों तक पहुंचता है।

इस असंतुलन की एक और गंभीर अभिव्यक्ति युद्ध और संघर्ष के रूप में दिखाई देती है। युद्ध केवल मानव जीवन का विनाश नहीं करते, बल्कि पूरे पर्यावरणीय तंत्र को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। बमबारी से भूमि बंजर हो जाती है, रासायनिक हथियार जल और वायु को विषाक्त कर देते हैं, और विस्थापन की स्थिति में मानव समाज का प्राकृतिक

संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के नाम पर जो संसाधन ख़र्च होते हैं, वे भी पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इस प्रकार युद्ध केवल राजनीतिक या सामाजिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरा पर्यावरणीय संकट भी है।

इसके साथ ही आधुनिक जीवन की एक और प्रवृत्ति—अत्यधिक विलासिता—भी इस असंतुलन को बढ़ावा दे रही है। आज मनुष्य आवश्यकता और लालसा के बीच की सीमा को भूलता जा रहा है। बड़े-बड़े घर, अत्यधिक ऊर्जा खपत, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, फ़ास्ट फ़ैशन और "उपयोग करो और फेंको" की संस्कृति ने पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर असहनीय दबाव डाल दिया है। कुछ लोगों की अति-उपभोग (overconsumption) की प्रवृत्ति का परिणाम यह है कि लाखों लोग मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हैं।

भोजन की बर्बादी इस असंतुलन का एक और दुखद उदाहरण है। एक ओर बड़ी मात्रा में भोजन फेंक दिया जाता है, दूसरी ओर करोड़ों लोग भूख से जूझ रहे हैं। यह न केवल सामाजिक अन्याय है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के असंतुलित उपयोग का भी प्रमाण है। इसी प्रकार ऊर्जा और पानी का अनुचित उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है।

इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार में है। प्रकृति स्वयं संतुलन पर आधारित है; असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपनी सीमाओं को भूल जाता है और अतिवाद की ओर बढ़ जाता है—चाहे वह उपयोग में हो या उपेक्षा में।

ऐसे में समाधान केवल तकनीकी या आर्थिक उपायों तक सीमित नहीं हो सकता। मूल समाधान मानव दृष्टिकोण, नैतिकता और जीवनशैली में परिवर्तन है। मनुष्य को यह समझना होगा कि वह इस सृष्टि का स्वामी नहीं, बल्कि उसका उत्तरदायी संरक्षक है। उसे प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व का मार्ग अपनाना होगा।

इसी संदर्भ में यह भी एक महत्वपूर्ण सत्य है कि मनुष्य को इस संसार में बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़ा गया। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की उसी एक ईश्वर ने हर युग और काल में, हर क्षेत्र और हर समाज में इस्लाम के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दे दी है जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संयम का एक पूर्ण एवं व्यावहारिक ढांचा प्रस्तुत करती हैं। इसमें न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए मार्गदर्शन है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जीवन के लिए भी स्पष्ट सिद्धांत मौजूद हैं।

इस्लाम का मूल संदेश ही संतुलन (मिज़ान) और न्याय (अद्ल) पर आधारित है। इसमें अपव्यय को नापसंद किया गया है, और धरती को एक अमानत के रूप में देखने की शिक्षा दी गई है। यह शिक्षा मनुष्य को यह सिखाती है कि संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार हो, न कि लालसा के अनुसार। साथ ही यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी है।

यह दृष्टिकोण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। यदि मानव समाज इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाए, तो न केवल पर्यावरणीय संकटों को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना भी संभव है।

अंततः कहा जा सकता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमें एक ही संदेश देता है—संतुलन ही जीवन का आधार है। जहां संतुलन है, वहां जीवन है; और जहां असंतुलन है, वहां विनाश की शुरुआत है। आज मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे यह निर्णय लेना है कि वह अति की ओर बढ़ेगी या संतुलन की ओर लौटेगी।

यदि मनुष्य सचमुच एक सुरक्षित, शांत और स्थायी भविष्य चाहता है, तो उसे प्रकृति के नियमों, नैतिक मूल्यों और संतुलन के सिद्धांतों को अपनाना ही होगा। यही वह मार्ग है जो न केवल पृथ्वी को बचा सकता है, बल्कि मानव जीवन को भी अर्थ, शांति और स्थायित्व प्रदान कर सकता है। ■■



Whatsapp (9818799223) your complete address with screenshot of payment

समाधान

पर्यावरण समस्या और इस्लामी शिक्षाएं

❖एम. एस. शम्सी

पर्यावरण शब्द केवल हवा, पानी और पेड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सम्पूर्ण संसार को समेटे हुए है, जिसमें मनुष्य जीवन बिताता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए उन सभी संसाधनों का भंडार है जिनसे मानव समाज अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है।

लेकिन आज मनुष्य ने अपनी अंधी भौतिक दौड़ और स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण ईश्वर द्वारा प्रदान की गई नेमतों का जिस तरह बेरहमी से दोहन किया है, उसने धरती पर रहने वाले समस्त जीव-जंतुओं के अस्तित्व को ख़तरे में डाल दिया है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हो चुका है। पर्यावरण का विनाश अब केवल किसी एक देश या समाज की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक वैश्विक संकट बन चुका है, जो मनुष्य के साथ-साथ पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

इस्लामी शिक्षाएं "अमानत" के सिद्धांत पर ज़ोर देती हैं। अर्थात् यह धरती, इसके संसाधन और प्रकृति की तमाम नेमतें इंसान के पास एक ज़िम्मेदारी के रूप में सौंपी गई हैं। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत "ख़िलाफ़त" का है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। क़ुरआन में कहा गया है–

"और तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक प्रतिनिधि बनाने वाला हूं।" (क़ुरआन, 2:30)

यह आयत बताती है कि इंसान को धरती पर केवल रहने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उसे इसकी देखभाल और बेहतर प्रबंधन की ज़िम्मेदारी भी दी गई है। मनुष्य स्वयं भी ईश्वर की सृष्टि का एक हिस्सा है और उसका प्रकृति से गहरा संबंध है। हर जीव को जीने और बढ़ने का अधिकार दिया गया है। सभी जीव-जन्तु प्रकृति के बनाए हुए संतुलन में जीवन बिताते हैं। क़ुरआन कहता है–

"और धरती को उसने बिछाया, फिर उससे उसका पानी और चारा निकाला, और पहाड़ों को मज़बूती से स्थापित किया। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पशुओं के लिए जीवन-निर्वाह का साधन है।" (क़ुरआन, 79:30-33)

क़ुरआन यह भी स्पष्ट करता है कि धरती के साथ सम्मान और न्याय का व्यवहार किया जाना चाहिए। अल्लाह ने इंसानों को यह आदेश दिया कि धरती के संसाधनों—जैसे खेती, पशुधन, जंगल, पेट्रोलियम, खनिज और अन्य संपदाओं, का सही ढंग से उपयोग किया जाए और उन्हें बर्बाद न किया जाए।

आज दुनिया में जो प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरणीय संकट और असंतुलन दिखाई दे रहे हैं, वे काफ़ी हद तक मनुष्य की लालच और लापरवाही का परिणाम हैं। क़ुरआन कहता है–

"थल और समुद्र में बिगाड़ फैल गया है, उन कर्मों के कारण जो लोगों के हाथों ने किए, ताकि उन्हें उनके कुछ कर्मों का स्वाद चखाया जाए और वे लौट आएं।"

(क़ुरआन, 30:41)

इसलिए मुसलमानों के लिए यह केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक ज़िम्मेदारी भी है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें और हर जीव के अधिकार का सम्मान करें।

इस्लाम में पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण का विनाश, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रकृति के संतुलन का बिगड़ना अंततः मानव जीवन को ही संकट में डाल देता है। उदाहरण के लिए अवैध कटाई और खनन भूमि को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। ज़हरीले कचरे के कारण नदियों का पानी दूषित हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा बनता है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संकट में डाल देता है। इसीलिए इस्लाम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक व्यावहारिक शिक्षाएं दी हैं।

जल संरक्षण

इस्लाम पानी की अहमियत पर विशेष ज़ोर देता है। पानी जीवन का मूल आधार है और उसके बिना जीवन की

कल्पना संभव नहीं। इसलिए मुसलमानों को पानी का सोच-समझकर उपयोग करने की शिक्षा दी गई है। पानी की बर्बादी को नापसंद किया गया है।

हमारे दैनिक जीवन में वुज़ू एक ऐसा काम है जिसमें अक्सर लोग आवश्यकता से अधिक पानी ख़र्च कर देते हैं। जबकि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने इससे रोका है।

एक बार पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने साथी सअद को वुज़ू करते देखा और पूछा :

"यह फ़िज़ूलख़र्ची कैसी?"

उन्होंने कहा : "क्या वुज़ू में भी फ़िज़ूलख़र्ची होती है?"

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया :

"हां, चाहे तुम बहती नदी के किनारे ही क्यों न हो।"

यह शिक्षा बताती है कि इस्लाम संसाधनों के उपयोग में कितना संतुलन और संयम सिखाता है। क़ुरआन कहता है :

"फ़िज़ूलख़र्ची मत करो। निस्संदेह फ़िज़ूलख़र्च लोग शैतान के भाई हैं।" (क़ुरआन, 17:26-27)

यदि वुज़ू जैसी इबादत में भी अपव्यय की अनुमति नहीं है, तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तो और अधिक सावधानी आवश्यक है।

पेड़ों और पौधों की रक्षा

इस्लाम पेड़ों को काटने, नदियों को गंदा करने और हवा को प्रदूषित करने से रोकता है। खेती और वृक्षारोपण को नेक काम माना गया है। क़ुरआन में अनेक स्थानों पर खेती, फलों और हरियाली का उल्लेख मिलता है।

खेती मनुष्य को अल्लाह की क़ुदरत का एहसास कराती है। एक छोटा-सा बीज कैसे विशाल पेड़ बन जाता है, यह स्वयं ईश्वर की शक्ति की निशानी है।

मुसलमानों को पेड़ लगाने और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया :

"जो मुसलमान कोई पेड़ लगाता है या खेती करता है और उससे कोई इंसान, पक्षी या जानवर लाभ उठाता है, तो वह उसके लिए सदक़ा बन जाता है।" (सहीह बुख़ारी)

इस्लाम जंगलों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी रोकता है। यह ऐसी खेती को बढ़ावा देता है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे। हानिकारक रसायनों से बचना और जैव विविधता की रक्षा करना भी इसी सोच का हिस्सा है।

संयमित उपभोग

इस्लाम मनुष्य को ज़िम्मेदार उपभोक्ता बनने की शिक्षा देता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, न कि दिखावे और लालच के लिए। पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग और प्लास्टिक जैसी हानिकारक चीज़ों से बचना आज की बड़ी आवश्यकता है।

अवैध कटाई जंगलों को नष्ट करती है, नदियों को प्रदूषित करती है और जलजीवों तथा वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास समाप्त कर देती है। इसके कारण मिट्टी का कटाव, बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।

हमें यह समझना होगा कि पेड़-पौधे केवल हरियाली नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे धरती पर जीवन संभव होता है।

पर्यावरण और नैतिकता

पश्चिमी देशों में हुए कई अध्ययनों से पता चलता है कि प्रदूषण केवल स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इंसानी व्यवहार और नैतिकता पर भी असर डालता है। बढ़ता प्रदूषण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अपराध और सामाजिक असंवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसका सबसे अधिक असर ग़रीब और कमज़ोर तबक़ों पर पड़ता है, जिससे असमानता और अन्याय की समस्याएं भी बढ़ती हैं।

आज इंसान की लालच और लापरवाही ने धरती, आसमान, समुद्र और पहाड़ों तक को प्रभावित कर दिया है। ऐसे समय में इस्लामी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर की एक महान नेमत है, जिसकी रक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

यह ज़िम्मेदारी केवल पेड़ों, नदियों और जानवरों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी प्राकृतिक व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यदि मनुष्य अपने "ख़लीफ़ा" होने के दायित्व को समझ ले और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं के अनुसार संतुलित जीवन अपनाए, तो पर्यावरणीय संकट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।

पर्यावरण की रक्षा हर मुसलमान का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। यदि हम ईमानदारी के साथ प्रकृति की हिफ़ाज़त करें, तो न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया छोड़ेंगे, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता भी प्राप्त कर सकेंगे। ■■

कविता

जिनके हिस्से में समुन्दर आ गये

• ज़हीर ललितपुरी •

इक नयी उम्मीद लेकर आ गये,
हम जहां थे फिर वहीं पर आ गये।

एक पल भी वक़्त रुक पाया नहीं,
ज्यों ही ठहरा उसको चक्कर आ गये।।

किस क़दर था उनको उड़ने पर ग़ुरूर,
बाद में फिर क्यूं ज़मीं पर आ गये।

कितनी मुश्किल से बचा पाये इसे
जीतने दिल को सिकंदर आ गये।

बस ज़रा सा ख़ुशनुमा मौसम हुआ,
कितने तूफ़ां और बबंडर आ गये।

प्यास की अज़मत वो क्या समझें ज़हीर
जिनके हिस्से में समुन्दर आ गये।।

“जो लोग अपने माल को रात-दिन छिपे और खुले ख़र्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके ‘रब’ के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे।
(क़ुरआन, 2:274)”

A Well Wisher

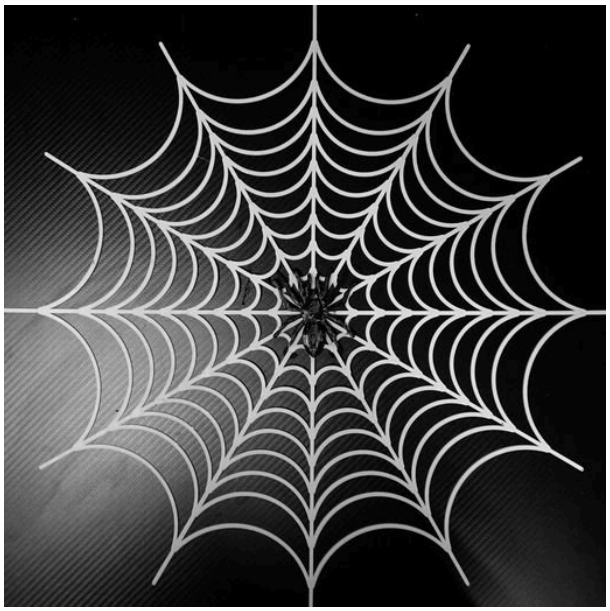
Mohd. Aslam

Meerut City (U.P.)

लोन के मकड़जाल में फंसाती फाइनेंस कंपनियां, आत्महत्या और पलायन को मजबूर ग़रीब मज़दूर

❖मसीहुज़्ज़मा अंसारी

उत्तर प्रदेश में फाइनेंस कंपनियों द्वारा ग़रीब और मज़दूर तबक़ों को बिना गारंटी लोन देने की स्कीम ने सैकड़ों परिवारों को जोखिम में डाल दिया है। जल्दी और बिना गारंटी के लोन की लालच में फाइनेंस कंपनियों के मकड़जाल में फंसकर दर्जनों परिवार या तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं या फिर पलायन करने को विवश हुए हैं।



हैरत की बात यह है कि इन फाइनेंस कंपनियों पर कोई सरकारी लगाम नहीं है और नियमों के विरुद्ध जाकर लोन देना और फिर मज़दूर परिवारों से उसकी जबरन वसूली करना आम बात हो गई है जिसके दबाव में पीड़ित परिवार आत्महत्या जैसा गंभीर क़दम उठाने में भी नहीं झिझक रहे हैं।

ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है जहां पिछले माह 13 जनवरी को क़र्ज़ में डूबे दिव्यांग दंपत्ति ने परिवार सहित ज़हर खा लिया जिसमें परिवार के मुखिया की पत्नी और उनके डेढ़ वर्षीय बेटे की मौत हो गई। मुखिया और 2 बेटियों की मुश्किल से जान बच सकी।

सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के नंदी फ़िरोज़पुर गांव के रहने वाले विकास, उम्र 35 वर्ष, उसकी पत्नी रजनी उम्र-32 वर्ष और तीन बच्चे, परी (06), पलक (03) और विवेक (डेढ़ वर्ष) देहरादून हाईवे पर सोमवार सुबह बेसुध हालत में मिले थे।

इंडिया टुमारो को पीड़ित परिवार ने बताया कि राहगीरों ने जब उनसे पूछताछ की तो दंपति ने उन्हें बच्चों सहित ज़हरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी। लोगों की मदद से दंपति और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया।

इलाज के दौरान डेढ़ वर्षीय बेटे विवेक ने देर शाम दम तोड़ दिया, वहीं महिला रजनी उम्र 32 वर्षीय ने अगले दिन मंगलवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि, परिवार का मुखिया विकास व उसके दो बेटियों की इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई है और वे फ़िलहाल अपने घर पर हैं।

क्या था आत्महत्या का कारण?

आत्महत्या के इस गंभीर मामले में इंडिया टुमारो ने जब सहारनपुर के नंदी फ़िरोज़पुर गांव के इस पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की तो कई तथ्य सामने आए जो चौंकाने वाले थे।

पीड़ित परिवार के शक्ति सिंह जो सामूहिक आत्महत्या का प्रयास करने वाले परिवार के मुखिया विकास के बड़े भाई हैं ने इंडिया टुमारो को बताया कि, विकास मोची का काम करता था और चार से पांच फाइनेंस कंपनियों से ब्याज पर क़र्ज़ लिया था।

उन्होंने बताया कि, लोन की क़िश्त नहीं चुका पाने के कारण क़र्ज़ पांच लाख तक पहुंच गया। उन पर कंपनी के

कर्मचारी दबाव डाल रहे थे और परेशान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों पति-पत्नी दिव्यांग थे और जूते बनाने का काम करते थे।

परिवार ने बताया कि कंपनियों के एजेंट लोन की क़िश्त के भुगतान के लिए घर पर लगातार दबिश डालते थे जिसके कारण पूरा परिवार परेशान था।

ज़हर खाने वाले विकास ने इंडिया टुमारो से बताया आत्महत्या के प्रयास का कारण :

सहारनपुर के नंदी फ़िरोज़पुर गांव के रहने वाले विकास ने लोन वसूली करने वाले एजेंट के उत्पीड़न से परेशान होकर पत्नी रजनी और तीन बच्चों (परी-6, पलक-3 और विवेक-डेढ़ वर्ष) सहित ज़हर खा लिया था जिसमें पत्नी और बेटे विवेक की मौत हो गई थी और विकास और 2 बेटियों को इलाज से बचा लिया गया था।

आस-पास के शायद ही कोई गांव ऐसे हैं जहां लोग इन कंपनियों के क़र्ज़दार न हों, इन फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स यहां के लगभग हर गांव में ऊंची ब्याज दर पर लोगों को आसानी से लोन देकर पहले क़र्ज़दार बनाया और अब प्रताड़ित कर वसूली कर रहे हैं।

इंडिया टुमारो को पीड़ित परिवार के विकास ने बताया कि फाइनेंस कंपनियों के एजेंट प्रताड़ित कर रहे थे जिससे परेशान होकर यह क़दम उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि वह लोन की क़िश्त का भुगतान कर रहे थे, पिछली कुछ क़िश्तें समय पर नहीं गईं जिसके कारण वह एजेंट घर पर आने लगे और ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगे।

विकास ने बताया कि हमने ज़हर खाने का फ़ैसला उस दिन किया जब लोन वसूली के लिए एजेंट दिन भर घर में बैठे रहे और रात हो गई लेकिन वे नहीं गए, उन्होंने बताया कि हमें खाना तक नहीं बनाने दिया और अपने पैसे मांगते रहे। बच्चे भूखे थे और यह सब देखकर परेशान हो रहे थे।

विकास ने बताया कि, "जब एजेंट दिन भर और देर रात तक घर में वसूली के लिए बैठे रहे और खाना भी बनाने नहीं दिया तो हमने परिवार सहित आत्महत्या करने का मन बना लिया और अगले दिन देहरादून हाईवे पर जाकर ज़हर खा लिया।"

इंडिया टुमारो को विकास ने बताया कि, "हम क़िश्त का भुगतान समय पर ही कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने मेरा बेटा बीमार हो गया और उसकी दवा में पैसा लग गया जिसके कारण हम लोन की क़िश्त समय पर जमा नहीं कर सके। यह बात हमने एजेंट को भी बताई लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी और वसूली का दबाव बनाते रहे।"

इस सवाल पर कि कौन-सी कंपनी थी जिससे लोन लिया था और उसके एजेंट कौन थे। विकास ने फ्यूजन कंपनी का नाम बताया कि फ्यूजन कंपनी से लोन लिया था और उसके एजेंट शुभम राणा और अलका थी जो वसूली के लिए घर पर आते थे और प्रताड़ित करते थे।

परिवार और ग्रामीणों ने बताया कि फ्यूजन कंपनी ने ज़्यादा परेशान किया जिसके चलते उन्हें आत्महत्या जैसा क़दम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

फ्यूजन कंपनी का मुख्यालय और रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता कंपनी के पास बुक पर नरैना विहार, नई दिल्ली दर्ज है।

इंडिया टुमारो ने जब फ्यूजन कंपनी के एजेंट शुभम राणा से बात की तो उसने विकास के परिवार से वसूली की बात से इंकार किया और बताया कि उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो चुका है।

क्या है परिवार की मांग ?

इस मामले में पीड़ित परिवार की मांग है कि परिवार को परेशान और प्रताड़ित करने वाले फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवज़ा दिया जाए।

परिवार ने मृतक महिला की 2 बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था और उनकी देखभाल के लिए सरकार से मदद मांगी है। हालांकि मौक़े पर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे भाजपा विधायक देवेन्द्र कुमार निम ने कहा है कि इस मामले में कोई मुआवज़ा नहीं मिल सकता है।

अब तक दर्ज नहीं हुई FIR :

इस मामले में अब तक कोई FIR दर्ज होने की पुष्टि

नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने थाने में तहरीर दी है लेकिन उसे FIR दर्ज होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

पीड़ित परिवार ने इंडिया टुमारो को बताया कि ज़हर खाने का मामला गागलहेड़ी थाने के अंतर्गत आता है इसलिए गागलहेड़ी थाने में तहरीर दी गई थी लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है।

पुलिस ने क्या कहा ?

इंडिया टुमारो की टीम ने सहारनपुर कोतवाली नगर के एसएसपी कार्यालय जाकर इस मामले की जानकारी ली जहां बताया गया कि यहां कोई तहरीर नहीं दी गई है और इस मामले के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी थाना देहात में मिलेगी। थाना देहात में जब इंडिया टुमारो की टीम पहुंची तो बताया गया कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं है और न ही कोई तहरीर प्राप्त हुई है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने थाना देहात में तहरीर दी है।

थाना देहात में यह बताया गया कि ज़हर खाने की घटना गागलहेड़ी थाने की है, जब हमने गागलहेड़ी थाने से संपर्क किया तो SI सुरेश कुमार ने बताया कि मुझे कोई तहरीर इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों को तहरीर देने की बात की थी लेकिन थाने में कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है।

सहारनपुर के प्रभारी एसपी सिटी व्योम बिंदल से इस मामले की जानकारी के लिए इंडिया टुमारो ने संपर्क किया लेकिन बात नहीं हो सकी।

गांव तक फैले फ़ाइनेंस कंपनियों के मकड़जाल :

इंडिया टुमारो को गांव के लोगों ने बताया कि फ़ाइनेंस कंपनियों के जाल आस-पास के गांव में फैले हुए हैं और लगभग 12 फ़ाइनेंस कम्पनियां लोन देने और जबरन वसूली के काम में सक्रीय हैं जिनमें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, स्वस्तिक, दिशा, चैतन्या, लाइट, शिवालिक और अदिति आदि फ़ाइनेंस कम्पनियां शामिल हैं।

इन कंपनियों ने लोन देने की प्रक्रिया को किसी दुकान से सामान लेने जैसा आसान कर दिया है। एक ग्रामीण ने बताया कि कंपनियों के एजेंट घर तक आते हैं और बहुत ही आसानी से लोन दे देते हैं।

इस सवाल पर कि लोन देने की क्या प्रक्रिया होती है, ग्रामीणों ने हमें बताया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देखते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं और फिर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं।

शक्ति सिंह ने बताया कि मज़दूर वर्ग को इतनी आसानी से जब घर बैठे लोन मिल जाता है तो वह यह पता करना भूल जाता है कि इस लोन की शर्तें और नियम क्या हैं? जब उनकी क़िश्त देने का समय आता है और जब कम्पनियों के एजेंट उनके घर आना और परेशान करना शुरू कर देते हैं तो यह समझ पाते हैं कि अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इन कंपनियों का लोन वसूली का तरीक़ा बहुत ही कठोर होता है, यह घरों पर पहुंचते हैं, धमकाना शुरू करते हैं और कभी-कभी घर के सामान तक उठा ले जाते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार या तो दूसरी कंपनी से नया क़र्ज़ लेते हैं या फिर पलायन करने या आत्महत्या जैसा क़दम उठाने के लिए मजबूर होते हैं।

कई परिवार फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना के डर से गांव छोड़ने को मजबूर :

इंडिया टुमारो को नन्द फ़िरोज़पुर गांव (जहां सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया) के लोगों ने बताया कि फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स की वसूली से प्रताड़ित होकर लोगों ने गांव तक छोड़ दिया है। कई परिवार पलायन कर गए हैं या फिर छिपते फिर रहे हैं।

अमित नाम के एक व्यक्ति ने इंडिया टुमारो को विस्तार से बताया कि किस प्रकार फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट उन्हें या लोन धारकों को परेशान और प्रताड़ित करते हैं। अमित भी एक फ़ाइनेंस कंपनी के क़र्ज़दार हैं और एजेंट्स की प्रताड़ना से परेशान होकर गांव से बाहर रहने को मजबूर हैं।

लोन एजेंट्स के बारे में बात करते हुए अमित ने हमें बताया कि यदि एक माह की क़िश्त में भी देरी होती है तो लोन वसूली एजेंट घर में आकर बैठ जाते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं।

अमित ने बताया कि लोन वसूली के नाम पर कंपनियों के एजेंट घरों के सामान तक उठा ले जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि यदि क़िश्त में देरी होती है तो एजेंट्स कभी घर के सिलेंडर उठा ले जाते हैं या कभी भैंस खोल ले जाते हैं।

नन्द फ़िरोज़पुर गांव के अमित, जो फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट के प्रताड़ना के शिकार हैं, बताते हैं कि लोन देते समय यह शर्तों को नहीं बताते और जब समय पूरा होता है तो वसूली के नाम पर प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं।

क्या इन फ़ाइनेंस कंपनियों के तौर-तरीक़ों पर कोई आवाज़ नहीं उठाता ?

ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों ने बताया कि इन फ़ाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना पर लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि गांव में हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी फ़ाइनेंस कंपनियों का क़र्ज़दार है। इसलिए किसी एक की प्रताड़ना पर बाक़ी ख़ामोश रहते हैं, क्योंकि उनपर भी इन कंपनियों का बक़ाया है।

हमें लोगों ने बताया कि आस-पास के शायद ही कोई गांव ऐसे हैं जहां लोग इन कंपनियों के क़र्ज़दार न हों, इन फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स यहां के लगभग हर गांव में ऊंची ब्याज दर पर लोगों को आसानी से लोन देकर पहले क़र्ज़दार बनाया और अब प्रताड़ित कर वसूली कर रहे हैं।

गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि फ़ाइनेंस कंपनियां 20% से 25% तक ब्याज वसूल करती हैं। ऐसे में ग़रीब मज़दूर जो मुश्किल से 500 कमा पाता है महीना ऊंची ब्याज दर पर लोन को भुगतान नहीं कर सकता है।

गांव के मुखिया ने क्या कहा?

नन्द फ़िरोज़पुर गांव के प्रधान चरण सिंह ने इंडिया टुमारो को बताया कि, कई परिवारों को जिन्हें लोन दिया जाता है उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाती। लोन लेने वाले अधिकतर मज़दूर तबक़े के लोग हैं जिन्हें जल्द और बिना किसी गारंटी के लोन देने की लालच देकर सहमत कर लिया जाता है लेकिन ब्याज की दर, क़िस्तों का विवरण आदि जानकारियां नहीं दी जातीं।

गांव के मुखिया ने कहा कि, लोग ब्याज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनकी क़िस्त का 50 प्रतिशत ब्याज में चला जाता है और वे महीनों और सालों तक क़र्ज़ की अदायगी करते रहते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि क़िश्त में कुछ देरी होती है तो एजेंट घर पर दबिश देने चले आते हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसा चक्रव्यूह है कि जो फंस जाता है कभी निकल नहीं पाता, या तो गांव छोड़ देता है या प्राण छोड़ने पर मजबूर होता है।

उन्होंने बताया कि और कई परिवार ऐसे हैं जो एजेंट्स से प्रताड़ित हैं। उन्होंने बताया कि हमें कोई सूचना भी नहीं होती, वो गांव की महिलाओं या किसी के संपर्क से ही गांव में आते हैं और उनके कहने पर ही उन्हें लोन देते हैं।

चरण सिंह ने बताया कि एक परिवार और है जो घर छोड़ के गांव से भागा है, क्योंकि फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें इन मामलों की ख़बर तब होती है जब मामले बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यह कम्पनियां गांव की महिलाओं को साथ लेकर या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से गांव में आते हैं और उनकी गारंटी पर लोन दे देते हैं।

> **“आस-पास के शायद ही कोई गांव ऐसे हैं जहां लोग इन कंपनियों के क़र्ज़दार न हों, इन फ़ाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स यहां के लगभग हर गांव में ऊंची ब्याज दर पर लोगों को आसानी से लोन देकर पहले क़र्ज़दार बनाया और अब प्रताड़ित कर वसूली कर रहे हैं।”**

फ़ाइनेंस कंपनियों के जबरन ‘वसूली रैकेट’ पर कोई कार्रवाई नहीं :

सहारनपुर के गांव में 12 से अधिक फ़ाइनेंस कम्पनियां नियमों के विरुद्ध जाकर लोन देने और वसूली के काम में लगी हुई हैं जिनपर प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है।

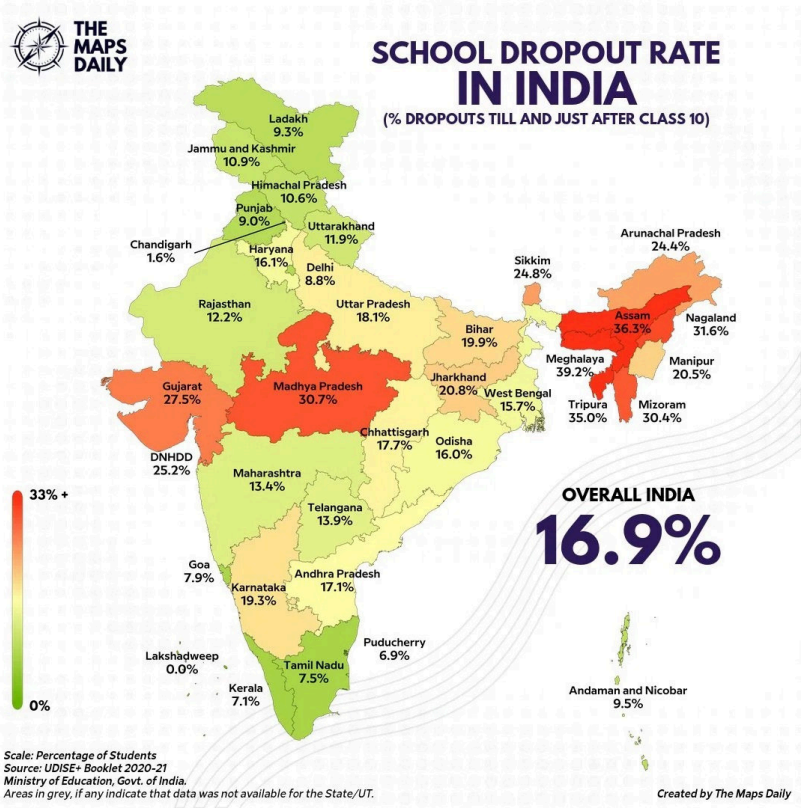
हैरत की बात यह है कि यह कम्पनियां बेरोक-टोक गांवों में अपना विस्तार कर कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ परिवारों को निशाना बनाती हैं, उन्हें बिना गारंटी जल्दी लोन देने की लालच देकर, ऊंची ब्याज दर और कठोर शर्तों को बताए बिना लोन बांटती हैं और फिर जबरन उसकी वसूली करती हैं।

गांव में लोगों ने बताया कि इन फ़ाइनेंस कंपनियों की शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती और यह मनमाने तरीक़े से लोन देने और जबरन वसूली के काम में लगे हुए हैं। इन फ़ाइनेंस कंपनियों की लुभावनी स्कीम के जाल में फंसकर कई परिवार तबाह हो रहे हैं। ताज़ा मामला सहारनपुर का है जहां एक परिवार के 5 लोगों ने ज़हर खा लिया जिसमें डेढ़ साल के बच्चे और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। ■■

क्यों छूट रही है बच्चों की पढ़ाई ?

❖मुहम्मद आसिफ़ इक़बाल

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी तथा कक्षा 1 से 9 तक के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। विद्यालयों में नई उम्मीदों के साथ बच्चों का नामांकन तो बढ़ रहा है, परंतु एक कटु सच्चाई यह भी है कि देश अब भी स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की गहरी समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में अधिक गंभीर रूप धारण किए हुए है।



भारत में वंचित समुदायों को व्यापक रूप से पांच वर्गों में देखा जाता है—अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जातियां (SC) तथा अनुसूचित जनजातियां (ST)। ये सभी वर्ग किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक वंचनाओं से प्रभावित रहे हैं। परिणामस्वरूप, शिक्षा तक उनकी पहुंच आज भी समान नहीं हो पाई है।

स्कूल छोड़ने की समस्या इन सभी वर्गों में समान रूप से व्याप्त है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़े इस स्थिति की भयावहता को उजागर करते हैं। संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 65 लाख से अधिक बच्चों ने इस अवधि में स्कूल छोड़ दिया, जिनमें लगभग 30 लाख किशोरियां हैं। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की कमज़ोरियों का स्पष्ट संकेत है।

यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ष 2019 से 2024 के बीच लगभग 6।57 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि शिक्षा का ढांचा अब भी कई स्तरों पर असंतुलित और अपूर्ण है।

राज्यवार विश्लेषण इस संकट को और स्पष्ट करता है। गुजरात में वर्ष 2025-26 सत्र के दौरान 2।4 लाख बच्चे स्कूल से बाहर पाए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी प्रकार असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी ड्रॉपआउट की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि देशव्यापी है।

विशेष रूप से बालिकाओं के संदर्भ में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। ग़रीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बाल श्रम, सामाजिक दबाव और असुरक्षा की भावना—ये सभी कारण मिलकर उन्हें शिक्षा से दूर कर देते हैं। ग्रामीण परिवेश में छोटी उम्र में विवाह का दबाव तथा विद्यालयों की दूरी भी बड़ी बाधा बनती है। कई बार बालिकाओं को घर के कार्यों में इस हद तक उलझा दिया जाता है कि शिक्षा उनके जीवन से स्वतः बाहर हो जाती है।

हाल ही में कुछ नीतिगत निर्णयों ने इस चुनौती को और बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, कम छात्रों वाले विद्यालयों का अन्य विद्यालयों में विलय प्रशासनिक दृष्टि से भले ही उचित लगे, लेकिन इससे बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह स्थिति अभिभावकों की आशंकाओं को बढ़ाती है और अंततः बच्चों के स्कूल छोड़ने का कारण बनती है।

इसके अतिरिक्त, प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज़ी जटिलताएं तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां भी वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर करती हैं। यह समस्या विशेष रूप से OBC, SC और ST समुदायों के छात्रों के लिए अधिक गंभीर है।

हाल के वर्षों में नामांकन में आई गिरावट भी चिंता का विषय है। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच लाखों छात्रों की संख्या में कमी आई है, जिसमें सभी प्रमुख सामाजिक वर्ग प्रभावित हुए हैं। यह केवल ड्रॉपआउट का नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली में घटते विश्वास का भी संकेत है।

सरकार और विभिन्न ग़ैर-सरकारी संगठनों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः स्कूल में लाने के प्रयास सराहनीय है। फिर भी, इन योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित करती है, परंतु केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यदि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो यह लक्ष्य अपने आप में अधूरा रह जाता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चों को विद्यालय से उच्च शिक्षा तक पहुंचाना है, न कि केवल उन्हें प्रारंभिक स्तर पर जोड़ देना।

UDISE+ रिपोर्ट के अनुसार, देश में हज़ारों विद्यालय ऐसे हैं जहां नामांकन शून्य है या केवल एक शिक्षक के भरोसे शिक्षा चल रही है। यह स्थिति संसाधनों के असंतुलन और योजना के अभाव को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम नामांकन वाले विद्यालय इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षा का ढांचा अभी भी समान रूप से विकसित नहीं हुआ है।

ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लें। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंततः यह प्रश्न उठता है कि क्या हम वास्तव में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित कर पाए हैं? यदि लाखों बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हो रहे हैं, तो यह हमारे नीति-निर्माण और क्रियान्वयन दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो 100% नामांकन का लक्ष्य केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा, जिसका ज़मीनी हक़ीक़त से कोई वास्तविक संबंध नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था की सफलता इस बात में निहित है कि वह प्रत्येक बच्चे को न केवल विद्यालय तक लाए, बल्कि उसे वहां बनाए रखे और आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करे। ■■



भारत में मुस्लिम योगदान पर विमर्श, प्रदर्शनी और सम्मेलन

इतिहास का सच जानने की नई पहल

❖प्रस्तुति : सुफ़ियान अहमद

नई दिल्ली के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अप्रैल 2026 का महीना एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान राजधानी में एक ओर जहां इतिहास के दृश्यात्मक पुनर्पाठ की कोशिशें हुईं, वहीं दूसरी ओर अकादमिक और वैचारिक स्तर पर उस इतिहास की पुनर्व्याख्या को लेकर गंभीर बहसें भी सामने आईं। इंडियन हिस्ट्री फ़ोरम के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी—"द वोवन लैंड : ए विज़ुअल नैरेटिव ऑफ़ मुस्लिम हिस्ट्री इन इंडिया"—और दो दिवसीय राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन ने मिलकर एक ऐसा विमर्श रचा, जो केवल अतीत की चर्चा नहीं करता, बल्कि वर्तमान के प्रश्नों और भविष्य की दिशाओं को भी सामने लाता है।



नई दिल्ली के अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, ओखला स्थित जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द मुख्यालय में आयोजित "द वोवन लैंड" प्रदर्शनी का उद्घाटन कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में हुआ। इनमें जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष सैयद सआतुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद सरवर चिश्ती, मौलाना असग़र अली इमाम मेहदी, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता शमशाद आलम सहित अनेक बुद्धिजीवी और नेता शामिल थे। प्रदर्शनी ने भारत की सभ्यतागत यात्रा में मुसलमानों के ऐतिहासिक योगदान को व्यापक और शोधपरक रूप में प्रस्तुत किया।

दृश्य और दस्तावेज़: इतिहास का जीवंत प्रस्तुतीकरण

नई दिल्ली स्थित जमाअत इस्लामी हिन्द के मुख्यालय परिसर में आयोजित प्रदर्शनी केवल तस्वीरों और मॉडलों का संग्रह भर नहीं थी, बल्कि यह एक गंभीर बौद्धिक पहल थी। इस प्रदर्शनी ने भारतीय इतिहास में मुसलमानों की भूमिका को शिक्षा, व्यापार, सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, भाषा-विकास और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में रेखांकित किया।

इसका सबसे प्रभावशाली पक्ष था '360-डिग्री विज़ुअल अनुभव', जो दर्शकों को इतिहास की एक गतिशील यात्रा पर ले जाता है। यह अनुभव केवल देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दर्शकों को उस दौर की संवेदनाओं और सामाजिक संरचनाओं से जोड़ने का प्रयास करता था। यहां इतिहास एक स्थिर तथ्य नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव के रूप में सामने आया।

इस प्रदर्शनी का उद्देश्य स्पष्ट था—इतिहास को केवल सत्ता संघर्षों और युद्धों तक सीमित न रखकर, उसे सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय की दृष्टि से देखना। यह उस साझा विरासत की याद दिलाता है, जिसने भारतीय समाज को बहुलतावादी और समावेशी स्वरूप प्रदान किया।

सम्मेलन : विचारों का टकराव नहीं, संवाद का विस्तार

इसी क्रम में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने इस विमर्श को अकादमिक गहराई प्रदान की। देश भर से आए इतिहासकारों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधार्थियों ने भारतीय इतिहास के उस पक्ष पर प्रकाश डाला, जिसे अक्सर या तो नज़रअंदाज़ किया गया या फिर विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया।

सम्मेलन में एक प्रमुख स्वर यह उभरा कि इतिहास को धार्मिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति ने उसके वास्तविक स्वरूप को नुक़सान पहुंचाया है। डॉ। राम पुनियानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अतीत के युद्ध धर्म के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और संसाधनों के लिए लड़े गए थे। यह कथन उस स्थापित धारणा को चुनौती देता है, जो इतिहास को केवल धार्मिक संघर्षों के रूप में प्रस्तुत करती है।



पूर्व विदेश मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने आधुनिक भारत के निर्माण में मुसलमानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि इस सच्चाई को बार-बार सामने लाना ज़रूरी है, ताकि नफ़रत और भ्रम की दीवारें टूट सकें। वहीं, प्रोफ़ेसर अनीता रामपाल ने पाठ्य-पुस्तकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का इतिहास दिया जा रहा है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है।

इतिहास बनाम नैरेटिव

इन आयोजनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने 'इतिहास' और 'नैरेटिव' के बीच के अंतर को उजागर किया। आज के दौर में इतिहास केवल तथ्यों का संकलन नहीं रह गया है, बल्कि वह एक राजनीतिक और वैचारिक उपकरण भी बन चुका है।

सांसद शशि थरूर और मनोज झा जैसे नेताओं ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इतिहास को बदलने या छिपाने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। "अगर 1000 वर्षों के इतिहास को हटा दिया जाए, तो वह ख़ालीपन केवल तथ्यों का नहीं, बल्कि पहचान का संकट बन जाएगा"—यह कथन केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है।

'बाहरी' का मिथक और पहचान की राजनीति

सम्मेलन में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था—भारतीय मुसलमानों को 'बाहरी' बताने का मिथक। वक्ताओं ने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस धारणा को ख़ारिज किया। डीएनए शोध और सामाजिक इतिहास यह बताते हैं कि भारतीय मुसलमान इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी पहचान इस देश की साझा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।

यह विमर्श केवल ऐतिहासिक सत्य की बहाली नहीं है, बल्कि वर्तमान में फैलाए जा रहे उन पूर्वाग्रहों के ख़िलाफ़ एक बौद्धिक प्रतिरोध भी है, जो समाज को विभाजित करने का काम करते हैं।

अनदेखे अध्याय

सम्मेलन में 'मुस्लिम महिलाओं की ऐतिहासिक भूमिका' पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जो इस बात का संकेत है कि इतिहास के भीतर भी कई स्तर हैं, जिन्हें अब तक पर्याप्त महत्व नहीं मिला। इसी तरह सामाजिक सुधार आंदोलनों में इस्लामी शिक्षाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक विचारधाराएं केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी वाहक रही हैं।

प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्देश्य

यदि इन आयोजनों को देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य, इतिहास के उस संतुलित और समावेशी स्वरूप को सामने लाना था, जिसे समय के साथ धुंधला कर दिया गया है। प्रदर्शनी ने जहां दृश्यात्मक माध्यम से इस कार्य को किया, वहीं सम्मेलन ने उसे वैचारिक और अकादमिक आधार प्रदान किया।



यह प्रयास केवल अतीत को पुनर्जीवित करने का नहीं, बल्कि वर्तमान में संवाद की संभावनाओं को मज़बूत करने का भी था। आयोजकों ने विशेष रूप से छात्रों और शोधार्थियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो इस बात का संकेत है कि यह पहल भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर की गई है।

समकालीन संदर्भ

आज जब दुनिया भर में पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक संघर्ष तेज़ हो रहे हैं, ऐसे में इतिहास की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में यह और भी ज़रूरी है कि इतिहास को किसी एक दृष्टिकोण तक सीमित न किया जाए।

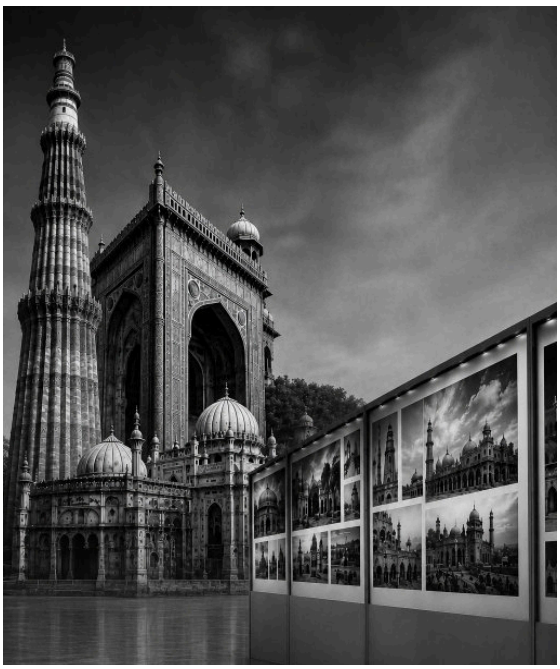
यह सच है कि हर विमर्श के साथ एक चुनौती जुड़ी होती है—क्या यह प्रयास वास्तव में निष्पक्ष है, या यह भी एक वैकल्पिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? इस सवाल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है कि इतिहास को एक ही दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति को चुनौती दी जाए।

इतिहास, पहचान और भविष्य

अप्रैल 2026 के ये आयोजन इस बात के संकेत हैं कि भारत में इतिहास को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। यह बहस केवल अतीत को लेकर नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की राजनीति, समाज और पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है।

प्रदर्शनी और सम्मेलन ने मिलकर यह संदेश दिया कि इतिहास को समझना केवल अतीत को जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का माध्यम भी है।

जब इतिहास से छेड़-छाड़ की कोशिशें होती हैं, तो उसे बचाना केवल एक अकादमिक कार्य नहीं रह जाता—वह एक सामाजिक ज़िम्मेदारी बन जाती है और शायद यही इन आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश है। ■■ **(उपसंपादक कान्ति)**



एक अपील, एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सब से ज़्यादा मुस्तहिक़

40 साल की ख़िदमात

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना गया



कैफ़ियते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था, जो कभी साँप, बिच्छू और चिड़ियों का बसेरा था—बक़ौल अल्लामा इक़बाल (रह.) "इश्क़ ने आबाद कर डाले हैं दश्त-ओ-कोहसार"

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा (ओडीशा) में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती दीनी व असरी उलूम की मशहूर तालीमगाहें (Residential) जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक (Matric) तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे (Purdah) में रहकर नर्सरी (Nursery) से मैट्रिक (Matric) तक की तालीम, होम साइंस, उमोरे-ख़ानादारी, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। • **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई • सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ व नाज़रा **यतीम तालिबात की तादाद** 75 है। **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम व रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त (Free) है किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये (Rs. 30,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 है। एक माह की तनख़्वाह एक लाख अस्सी हज़ार रुपये (Rs. 1,80,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन पैंतालिस लाख रुपये (Rs. 45,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस आसमान छूती महंगाई को देखते हुए और माहे रमज़ानुल मुबारक वग़ैरह के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन (उजरत) पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE,
At. : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010007752 (ज़कात/Zakath)
Bank A/C No.: 300402010009846 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इजाज़ी जनरल सेक्रेट्री इक़बाल अहमद ख़ां—9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9934943229**

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, **मोबाइल : 9631867066**

हिंसा और चुनावी निष्पक्षता पर बढ़ती चिंताएं



देश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विधानसभा चुनावों के बाद कई राज्यों में नई सरकारों के गठन के बीच राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक हलक़ों ने शासन में समावेशी तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई घटनाओं को लोकतांत्रिक वातावरण के लिए चिंताजनक बताते हुए राज्य में क़ानून-व्यवस्था तत्काल बहाल करने और हिंसा में शामिल तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग उठी है।

चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतदाता सूची में संशोधन, हाशिए पर पड़े समुदायों को मताधिकार से वंचित किए जाने के आरोप, प्रशासनिक तंत्र के कथित दुरुपयोग, धनबल और ध्रुवीकरण वाली भाषा के इस्तेमाल को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है। जानकारों का कहना है कि चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का आधार भी होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की आशंका लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकती है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करने वाले दल आपसी मतभेदों और विभाजन के कारण एक प्रभावी और संगठित विकल्प प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसका लाभ विभाजनकारी राजनीति को मिल रहा है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका गहरा रही है।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास, संस्थाओं की निष्पक्षता और सामाजिक सौहार्द की रक्षा का भी दायित्व है। चुनाव बाद हिंसा, मताधिकार को लेकर उठते सवाल और बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण इस बात के संकेत हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वे समाज में भरोसा और स्थिरता पैदा करें, न कि विभाजन और भय का वातावरण।

महंगाई की मार से आमजन बेहाल



देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की परेशानियों को और गहरा कर दिया है। रसोई गैस, पेट्रोल-डीज़ल और बिजली की क़ीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी का असर अब सीधे दैनिक जीवन पर दिखाई देने लगा है। परिवहन ख़र्च बढ़ने से खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में भी लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है।

आर्थिक जानकारों का कहना है कि बढ़ती ईंधन

लागत ने बाज़ार की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। माल ढुलाई महंगी होने से सब्ज़ियों, अनाज, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव के कारण आम परिवारों की क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है और बचत की संभावनाएं भी घटती जा रही हैं।

ऐसे में सरकार से ईंधन की क़ीमतों को नियंत्रित करने, उत्पाद शुल्क और अन्य करों में राहत देने तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस क़दम उठाने की मांग होनी चाहिए। साथ ही जमाख़ोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकने के लिए बाज़ार की निगरानी मज़बूत करने पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए। यदि समय रहते प्रभावी आर्थिक उपाय नहीं किए गए तो महंगाई का बोझ आने वाले समय में और अधिक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक संकट पैदा कर सकता है।

महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं होती, बल्कि यह सीधे आम आदमी की थाली, बच्चों की शिक्षा और परिवार की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी होती है। जब रसोई गैस, ईंधन और खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आय सीमित है। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल विकास के बड़े दावों तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिक की रोज़मर्रा की परेशानियों को प्राथमिकता दे। आर्थिक नीतियों का असली मूल्यांकन इसी बात से होगा कि वे आम जनता को राहत दे पाती हैं या नहीं।

हीटवेव से जनजीवन और रोज़गार पर गहरा असर



देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती हीटवेव ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान का असर लोगों के स्वास्थ्य, आजीविका और दैनिक कामकाज पर साफ़ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से बाहरी कामगारों, दिहाड़ी मज़दूरों, रिक्शा चालकों और शहरी ग़रीब तबक़ों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन होती जा रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य मौसमी बीमारियों के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी और बिजली की बढ़ती मांग ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ते तापमान को पर्यावरणीय क्षरण, वनों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण का परिणाम बताया जा रहा है, जिसने प्राकृतिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन द्वारा हीट एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने, सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी और राहत केंद्रों की व्यवस्था करने तथा कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य समय निर्धारित किया जाना ज़रूरी है।

यदि पर्यावरण संरक्षण को विकास नीतियों का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया गया, तो आने वाले वर्षों में हीटवेव का संकट और भयावह हो सकता है। हीटवेव अब केवल मौसम की सामान्य घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह पर्यावरणीय असंतुलन और अव्यवस्थित विकास मॉडल की गंभीर चेतावनी बन चुकी है। सबसे अधिक पीड़ा उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनके पास न संसाधन हैं और न ही सुरक्षा के पर्याप्त साधन। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी अंततः समाज को ही भारी क़ीमत चुकाने पर मजबूर करती है। अब समय आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर उसे सरकारी नीतियों और सामाजिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।

ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता पर दुनिया की नज़र



पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। हाल के सप्ताहों में परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी कूटनीतिक वार्ताओं, नए प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों ने क्षेत्र की स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी है।

सूत्रों के मुताबिक़ अमेरिका की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि ईरान ने साफ़ किया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर इज़राइल लगातार ईरान के परमाणु ढांचे को लेकर कड़ा रुख़ अपनाए हुए है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज़ होने से तनाव और बढ़ गया है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि वार्ताएं विफल होती हैं तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाज़ार, व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। विशेष रूप से होर्मुज़ को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुज़रता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में कूटनीति ही सबसे प्रभावी रास्ता हो सकती है। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सैन्य दबाव, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता ने समाधान को जटिल बना दिया है।

ईरान का मुद्दा केवल एक देश के परमाणु कार्यक्रम का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, पश्चिम एशिया की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। लगातार प्रतिबंध, सैन्य दबाव और युद्ध की आशंकाएं किसी भी क्षेत्र को स्थायी शांति नहीं दे सकतीं। इतिहास गवाह है कि संवाद और कूटनीति के बिना स्थायी समाधान संभव नहीं होता। यदि महाशक्तियां अपने रणनीतिक हितों से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, तभी क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष से बचाया जा सकता है।

क़ौम के अहले- सर्वत और
अहले - ख़ैर हज़रात से
ख़ुसूसी अपील

यतीमख़ाना इस्लामिया गया आपके माली ताआवुन का मुंतज़िर है

109 साल की ख़िदमात



तआरुफ़ इदारा की बुनियाद अक्तूबर 1917 में एक उस्ताद और दो यतीम बच्चों से आठ आने (50 पैसे) माहवार किराया की कोठरी में Rs. 30 रुपये की छोटी-सी रक़म से पड़ी थी **तालीमी साल :** अप्रैल ता मार्च **तालीमी मराहिल :** इब्तिदाई, • सानवी, • आला, • शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा, • इनायत (I.T.I) • पांच जवानों में तालीम • अरबी • उर्दू • फ़ारसी • हिन्दी • अंग्रेज़ी • तादाद ज़ेरे-तालीम तलबा व तालिबात : तक़रीबन 450 **• तादाद कुल यतीम तलबा** 60 • बेरूनी तलबा, जो अपना ख़र्च देकर हॉस्टल में रहते हैं, उसके अलावा हैं। • तादाद तदरीसी व ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ : 28 **सालाना ख़र्च :** चालीस लाख (RS. 40,00,000) रुपये से ज़्यादा। **ज़रिया आमदनी :** मुस्लिम अवाम के चंदे। **ख़र्चे :** यतीम तलबा का सारा ख़र्च (तआम, क़ियाम, रिहाइश वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त [Free]) ये सारा ख़र्च इदारा पूरा करता है। किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। **याद रखें :** (1) यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन या उजरत पर चंदा वसूल नहीं किया करता है। (2) पांच ज़बानों में क़ुरआन व इस्लामियात के साथ क्लास 1 से मैट्रिक (Matric) तक (जो बिहार बोर्ड से मंज़ूरशुदा है) मेयारी तालीम दी जाती है। • हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक का नज़्म (3) 108 साल से इदारा यतीम और ग़ैर-यतीम तलबा की इस्लामी माहौल में दीनी व असरी तालीम के साथ तालीमी व तरबियती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। (4) इदारा ही के अहाते (Campus) में दो हरे-भरे पार्क के साथ शानदार मस्जिद, तालीमगाह, इक़ामतगाह, मतबख़ और दूसरे शोबे वग़ैरा हैं • इसलिए तलबा को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम तालिब-इल्म का सालाना ख़र्च तीस हज़ार रुपये RS. 30,000 है। आप भी इस कारे-सवाब में शरीक हों। • यहां के तलबा को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में आलिमियत के पहले व दूसरे साल में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। (5) यतीमख़ाना से मैट्रिक पास करने वाले यतीम तलबा का दाख़िला यतीमख़ाना के इनायत (I.T.I.) में बिल्कुल मुफ़्त (Free) है। उनसे किसी तरह का कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है। पहले ही की तरह रहने-सहने और खाने-पीने की सारी सहूलियात दी जाती है। **अपील :** इस माद्दापरस्ताना (Materialistic) और जदीद दौर में दीनी व असरी उलूम के रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। • आप आसमान छूती महंगाई में इदारा की भरपूर माली मदद करें। तआवुन की मुख़्तलिफ़ शक्लें हैं जैसे • ज़कात • अतियात • सदकात वग़ैरा और इदारा के बाक़ी तालीमी व तामीरी मन्सूबों के लिए भी रुपये की बहुत ज़रूरत है। इदारा आपसे नन्हे-मुन्ने मासूम यतीम बच्चों को तालीम के साथ-साथ बाहुनर बनाने के लिए और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए फ़राख़दिलाना माली तआवुन की अपील करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत (Nazr-e-Enayeth) यू-ट्यूब (You Tube) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ़ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता
Hon. Secretary, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE,
Cherki-824237, Distt. : Gaya (Bihar) India

Mobile : 9801213022, Whatsapp No. : 7258063440

Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
Bank A/C No.: 300402010010581 (ज़कात/Zakat)
Bank A/C No.: 300402010002982 (डोनेशन/Donation)
Bank IFSC Code No: UBIN0530042
Bank: UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए-मेहरबानी स्कैन एंड पै पर (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) और नाम व पता ऊपर के व्हाट्सऐप नम्बर पर भेज दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ान (सदर)
9631867066

डॉक्टर जेड. एच. ख़ान
एज़ाज़ी सेक्रेट्री

E-mail : gmocde@yahoo.com.in
Website : www.gmogaya.in

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता क़ायम करें।
जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सदर) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229
जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

अनुभव की शक्ति

❖लुबना सबूब

लंबे समय तक आधुनिक पेशेवर दुनिया एक ऐसे भ्रम से संचालित होती रही, जिसमें युवावस्था को ऊर्जा, नवाचार और उत्पादकता का पर्याय मान लिया गया और उम्र बढ़ने को अप्रासंगिकता से जोड़ दिया गया। कॉरपोरेट जगत में यह धारणा इतनी गहराई तक बैठ गई कि अनुभव और स्थिरता को अक्सर "धीमापन" समझा जाने लगा। लेकिन पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर यह सोच चुपचाप, मगर निर्णायक रूप से बदल रही है।

आज अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट जगत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेशेवरों को न केवल स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रणनीतिक और निर्णायक भूमिकाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव भावनात्मक आग्रह या परंपरागत सम्मान-बोध का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस शोध, आंकड़ों और अनुभवजन्य निष्कर्षों पर आधारित है।



क्या कहते हैं आंकड़े

वैश्विक परिदृश्य पर नज़र डालें तो यह बदलाव साफ़ दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था कौर्न फेरी के अनुसार फॉर्च्यून-500 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की औसत आयु 58 से 62 वर्ष के बीच है। यह तथ्य अपने आप में उस धारणा को चुनौती देता है कि नेतृत्व केवल युवाओं का क्षेत्र है। इसी तरह, अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के रोज़गार पैटर्न अध्ययन यह संकेत देते हैं कि 58 से 65 वर्ष की आयु के पेशेवर रणनीतिक, वित्तीय और संस्थागत निर्णयों में अपने सर्वोच्च स्तर पर होते हैं।

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं का मानना है कि जटिल संगठनों के लिए सबसे निर्णायक योग्यता निर्णय की गुणवत्ता होती है—और यह गुणवत्ता अनुभव, धैर्य और व्यापक दृष्टि के साथ विकसित होती है। उम्र के साथ निर्णय अधिक स्थिर, संतुलित और दूरगामी होते जाते हैं, जो किसी भी बड़े संगठन के लिए अनिवार्य गुण हैं।

जनसांख्यिकीय बदलाव और नई कार्य-संस्कृति

एशिया, यूरोप और अमेरिका—तीनों महाद्वीपों में जनसांख्यिकीय बदलाव इस प्रवृत्ति को और मज़बूती दे रहे हैं। औसत जीवन-अवधि में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यस्थलों पर उम्र-भेदभाव के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनों ने वरिष्ठ पेशेवरों को अधिक सक्रिय बनाए रखा है। ओईसीडी के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद 55 से 70 वर्ष आयु वर्ग की श्रम भागीदारी में 22 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत भी इससे अलग नहीं है। सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, दूरसंचार, रक्षा उद्योग, ऊर्जा और मीडिया जैसे क्षेत्रों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेशेवरों की मांग बढ़ रही है—ख़ासतौर पर सलाहकार और बोर्ड स्तर की भूमिकाओं में। कंपनियां यह समझने लगी हैं कि संस्थागत निरंतरता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अनुभव का होना अनिवार्य है।

उम्र और उत्पादकता : एक मिथक

उम्र और उत्पादकता के संबंध को अक्सर एक रैखिक (Linear) पैमाने पर मापा जाता है—जैसे-जैसे उम्र बढ़ी,

उत्पादकता घटी। लेकिन आधुनिक शोध इस सरलीकृत दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्पादकता काम की प्रकृति, पेशे की मांग और व्यक्ति की भूमिका पर निर्भर करती है।

कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि वरिष्ठ पेशेवरों की दक्षता उम्र के साथ कमज़ोर नहीं, बल्कि अधिक बहुआयामी होती जाती है। वे जटिल परिस्थितियों में अधिक संतुलित, सहज और व्यावहारिक निर्णय लेते हैं। उनका अनुभव उन्हें जोखिमों का बेहतर आकलन करने और अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम बनाता है—जो युवा ऊर्जा से कहीं अधिक मूल्यवान साबित होता है।

रचनात्मकता का दूसरा चेहरा

अर्थशास्त्री डेविड गैलसन के बहुचर्चित शोध ने रचनात्मकता को दो श्रेणियों में विभाजित किया—अवधारणात्मक और व्यावहारिक। अवधारणात्मक रचनात्मकता आमतौर पर कम उम्र में चरम पर होती है, जबकि व्यावहारिक रचनात्मकता अनुभव के साथ विकसित होती है और अधिक उम्र में अपनी श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचती है। यही कारण है कि 50 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लेखक, शोधकर्ता और विचारक अक्सर अपने सबसे प्रभावशाली कार्य इसी दौर में प्रस्तुत करते हैं।

आज अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट जगत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेशेवरों को न केवल स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रणनीतिक और निर्णायक भूमिकाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव भावनात्मक आग्रह या परंपरागत सम्मान-बोध का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस शोध, आंकड़ों और अनुभवजन्य निष्कर्षों पर आधारित है।

यह निष्कर्ष उस आम धारणा को चुनौती देता है कि नवाचार केवल युवाओं का क्षेत्र है। वास्तव में, गहरे और टिकाऊ नवाचार के पीछे अक्सर वर्षों का अनुभव और चिंतन होता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व

नेतृत्व केवल निर्णय लेने की क्षमता नहीं, बल्कि लोगों के साथ काम करने की कला भी है। नेतृत्व मनोविज्ञान पर डेनियल गोलेमन और रिचर्ड बॉयाटजिस के अध्ययनों के अनुसार, संघर्ष-प्रबंधन, जोखिम-मूल्यांकन, भावनात्मक स्थिरता और संस्थागत दृष्टि उम्र के साथ अधिक परिपक्व और प्रभावशाली होती जाती है।

स्टैनफोर्ड सेंटर ऑन लॉन्गिविटी के शोध बताते हैं कि 60 वर्ष के बाद पेशेवर अपने काम को केवल आर्थिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि उद्देश्य और अर्थ के रूप में देखने लगते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें दीर्घकालिक परियोजनाओं, संस्थागत सुधार और रणनीतिक नेतृत्व के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है।

स्वास्थ्य, दीर्घायु और कार्यक्षमता

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया के कई हिस्सों में स्वस्थ जीवन-आयु 68 से 70 वर्ष तक पहुंच चुकी है। बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित जीवनशैली और उन्नत चिकित्सीय सुविधाओं ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेशेवरों को पहले की तुलना में अधिक सक्रिय और कार्यक्षम बनाया है। उम्र अब शारीरिक सीमा से अधिक मानसिक और दृष्टिगत परिपक्वता का संकेत बनती जा रही है।

मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का कहना है कि किसी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण—जैसे जटिल समस्याओं का समाधान, टीम नेतृत्व और दीर्घकालिक रणनीति—उम्र के साथ और मज़बूत होते हैं। यही कारण है कि वैश्विक कॉरपोरेट जगत में वरिष्ठ पेशेवरों का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है।

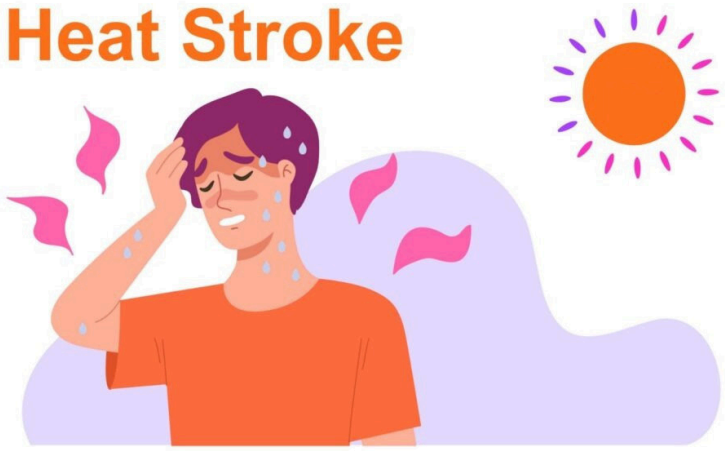
ज़रूरी है अनुभव सम्मान

आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में संगठन वही टिकते हैं, जो तात्कालिक लाभ से आगे सोचने की क्षमता रखते हैं। किसी भी संस्था की असली संपत्ति उसकी मशीनें या तकनीक नहीं, बल्कि संस्था के लोगों की वह अनुभव और दृष्टि होती है, जो वर्षों के अभ्यास से विकसित होती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेशेवर इसी अनुभव और दृष्टि का सजीव रूप हैं।

पेशेवर दुनिया बदल रही है और इस बदलाव में उम्र बोझ नहीं, बल्कि पूंजी बनती जा रही है। नेतृत्व, विवेक, संस्थागत समझ और निर्णय की गुणवत्ता—ये सभी गुण समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। ऐसे में अनुभव को नज़रअंदाज़ करना केवल पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि रणनीतिक भूल भी है। आज यह साफ़ है कि 60 के बाद भी नेतृत्व न केवल संभव है, बल्कि कई मामलों में वह सबसे अधिक भरोसेमंद साबित होता है।■■

गर्मी की तपिश में सेहत का जोखिम

❖संपादन प्रभाग



तीखी धूप अब चुभने लगी है। लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं। गर्मी में अधिक पसीना आने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। लू लगने से लोग बीमार होने लगते हैं। इन दिनों भोजन ख़राब हो जाने से प्रायः लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं चिलचिलाती धूप में लोगों की त्वचा ही नहीं, सेहत पर भी असर पड़ने लगता है। गर्मी में न केवल आंखों, बल्कि पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इस समय हम थोड़ी-सी एहतियात बरतें, तो इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सकता है।

निर्जलीकरण के ख़तरे

गर्मी में निर्जलीकरण का ख़तरा अधिक होता है। दरअस्ल, इस मौसम में पसीना अधिक आता है। इस दौरान हम जितना पानी पीते हैं, उससे ज़्यादा पसीने के रूप में बह जाता है। इससे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। मुंह सूखने लगता है। पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है। व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए गर्मियों में सभी को पर्याप्त पानी पीना चाहिए। जहां तक संभव हो, फलों का रस और नींबू पानी लें। यह फ़ायदा करता है। इन दिनों कैफीनयुक्त पेय से बचना चाहिए। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए छाछ और शर्बत ले सकते हैं।

दूषित भोजन के जोखिम

गर्मी में बना भोजन कुछ घंटे बाद ख़राब होने लगता है। इस तरह का दूषित भोजन करने से उल्टी-दस्त की समस्या पैदा होती है। इसलिए इन दिनों सड़कों के किनारे और खुले में बिक रही चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इस मौसम में दूषित पानी और भोजन से पीलिया होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ों की आंखें और नाख़ून पीले दिखाई देते हैं। अगर समय पर उपचार न हो, तो यह जानलेवा हो सकता है।

लू की मार

इस मौसम में गर्म हवाएं बदन को झुलसाती हैं। मई-जून में लू लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए अक्सर चिकित्सक तेज़ धूप से बचने की सलाह देते हैं। लू लगने पर सिर में दर्द होता है। कमज़ोरी महसूस होती है। कभी-कभी तो मरीज़ बेहोश तक हो जाता है। लू से बचने के लिए शरीर को ठंडा रखने और ख़ूब पानी पीने के लिए कहा जाता है। चिकित्सक इस समय ताज़ा और सुपाच्य भोजन करने की सलाह देते हैं। इस समय जहां तक हो सके कुछ खाकर निकलना चाहिए। जितना संभव हो, धूप से बचें। लू लगने पर मरीज़ को छाया में लिटा दें। माथे पर नम पट्टी रखें। उसे तरल पदार्थ दें।

बढ़ती परेशानी

आम तौर पर इस मौसम में लोगों को घमौरियां हो जाती हैं। इसकी एक वजह गर्मी में निकलने वाला पसीना है। पाया गया है कि कपड़े से ढके हिस्से में भी घमौरियां होने लगती हैं। इसमें हर समय खुजली से परेशानी होती है। त्वचा पर असर पड़ता है। लाल या गुलाबी रंग के दाने शरीर पर दिखाई देने

लगते हैं। इसलिए बाहर निकलने से पहले पूरी बाज़ू के कपड़े पहनें। तेज़ धूप में अचानक चक्कर आने का अंदेशा रहता है।

बचाव के रास्ते

गर्मी में होने वाली बीमारियां कभी-कभी जानलेवा हो जाती हैं। इन दिनों सबसे पहले तो तेज़ धूप और गर्म जगह से बचें। जितना संभव हो, पर्याप्त तरल पदार्थ लें। इससे राहत मिलती है। आहार में सुबह-शाम सलाद लेना फ़ायदेमंद है। मौसमी फल जैसे लीची, तरबूज़-खरबूज़ और खीरे-ककड़ी खाएं। इसके अलावा नारियल पानी और घर में सत्तू के घोल का सेवन करें। इन दिनों जितना हो सके ढीले कपड़े ख़ासकर सूती कपड़े पहनें। बाज़ार में बिकने वाले किसी भी तरह के पेय से बचें।

क्या करें ?

• घर से बाहर निकलते समय गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाते का उपयोग करें।
• हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें तथा कड़ी धूप से बचें।
• पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदार्थ जैसे छाछ, लस्सी, नमक-चीनी का घोल, नींबू का पानी एवं आम के पने का सेवन करें। प्यास की इच्छा न होने पर भी बार-बार पानी पीएं।
• निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS घोल का सेवन करें।
• यात्रा करते समय पानी हमेशा साथ में रखें।
• संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
• खाना बनाते समय खिड़की-दरवाज़े एवं रात को खिड़कियां खुली रखें।
• जिन खिड़कियों और दरवाज़ों से गर्म हवा आती है, उन पर रिफ्लेक्टर जैसे– एल्युमिनियम, पन्नी, गत्ते या काले पर्दे लगाएं।
• वृद्धों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें।
• अधिक परिश्रम के बीच में आराम भी करें।
• जहां तक संभव हो घर में ही रहें और सूर्य के सम्पर्क से बचें।
• स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें।
• लू लगने के लक्षणों को पहचानें। यदि कमज़ोरी लगे, सिरदर्द हो, उल्टी महसूस हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो और चक्कर आए, तो तुरन्त डॉक्टर को दिखाएं।
• लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़ों से पोछें अथवा नहलाएं या शरीर के ऊपर पानी का स्प्रे करें।
• आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
• जानवरों को छाया में बांधें और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं।

क्या न करें ?

• तेज़ धूप में बाहर न निकलें।
• अधिक गर्मी में व्यायाम न करें।
• धूप में खड़े वाहनों में बच्चों एवं पालतू जानवरों को न छोड़ें।
• अधिक प्रोटीन वाले तथा बासी खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। ■■

(यह लेख सिर्फ़ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

बचो अत्याचार से, क्योंकि अत्याचार से क़ियामत के दिन कालिमा छा जाएगी। और लोभ और कृपणता से बचो, क्योंकि लोभ और कृपणता ने तुम से पहले लोगों को विनष्ट किया, उन्होंने इसके कारण रक्तपात किया और हराम को हलाल ठहरा लिया।" (हदीस : मुस्लिम)

A Well Wisher

Jameel Ahmad
Aurangabad
(M.H.)



कहानी

मंज़िल

❖अबरार मुहसिन



सर्दियों की रात के अंधेरे साये तेज़ी से फैलते जा रहे थे, जब ब्रांच लाइन के छोटे-से स्टेशन पर भाप का इंजन पांच डिब्बों की छोटी-सी गाड़ी को घसीटता हुआ लाया और ठहरकर किसी थके हुए जानवर की तरह शूं-शूं करने लगा। धुएं की मोटी चादर ने अंधेरे को और भी गहरा कर दिया था। स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने मिट्टी के तेल से जलने वाला लैम्प रौशन था। उस दिन गाड़ी एक घंटा लेट आई थी। गाड़ी से उतरने वाले बस दो-चार ही मुसाफ़िर थे जो तेज़ी से गेट पर से गुज़रते हुए बाहर जा चुके थे। सिर्फ़ एक बूढ़ी-सी औरत रह गई थी जो अपनी गठरी को संभालने में लगी थी। ठिठुरन बढ़ती जा रही थी।

इतने में गार्ड ने सीटी बजाई, हरे रंग की लालटेन फ़िज़ा में लहराई।

जवाब में इंजन ने भी सीटी मारी और गाड़ी के पहिए हरकत में आ गए। यहां से बैठने वाला कोई भी मुसाफ़िर नहीं था।

बूढ़ी औरत तेज़ी से चलती हुई गेट पर आई जहां स्टेशन मास्टर आने वालों से टिकट ले रहा था। वह बहुत बौखलाई हुई-सी नज़र आती थी।

"आज तो चिराग़ जले गाड़ी पहुंची है।" वह बड़बड़ा रही थी।

स्टेशन मास्टर ने टिकट लेते हुए कहा–"हां, आज देर से आई है। कहां जाओगी मां?"

"नूरपुर।"

"तब तो कल सुबह ही जाना।" स्टेशन मास्टर बोला। "इस वक़्त तो कोई सवारी भी नहीं है। पांच कोस का फ़ासला है।"

बूढ़ी औरत ने बेचैनी से कहा–"मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है।"

स्टेशन मास्टर ने समझाने की कोशिश की, "अरे मां! रास्ते में एक कोस का जंगल पड़ता है और सुना है कलुवा डाकू भी आजकल उधर देखा गया है।" बूढ़ी औरत कांप-सी गई, मगर वह आगे बढ़ती रही। वहीं अंधेरे में शायद कोई बैलगाड़ी खड़ी थी। गाड़ीवान शायद बीड़ी पी रहा था। बीड़ी का जलता हुआ सिरा जुगनू की तरह चमक रहा था। "शुक्र है ख़ुदा का।" वह बड़बड़ाई और गाड़ीवान से बोली–"बेटा, मेरा नूरपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी तरफ़ जा रहा है, तो मुझे भी साथ ले चल।"

"हूं!" गाड़ीवान की भारी आवाज़ सुनाई दी। वह गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। जब ज़रा इत्मीनान का सांस लिया तो देखा कि वह रब्बा (छतवाली बैलगाड़ी) था, जिसमें

एक लालटेन भी लटक रही थी। लालटेन की रौशनी में उसने देखा—गाड़ीवान जवान था, गठीले जिस्म वाला, चेहरे पर बड़ी-बड़ी मूंछें थीं। न जाने किस गांव का होगा ?

वह आराम से बैठती हुई बोली, "गाड़ी देर से आई, अंधेरा फैल गया। यह सोचकर दिल कांप रहा था कि गांव कैसे जाऊंगी? मगर बेटा, सुना है ख़ुदा की मदद हर जगह पहुंच जाती है। अब देख ले, उसने तुझे ही फ़रिश्ता बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया।"

गाड़ीवान ने चौंक कर बुढ़िया की तरफ़ देखा और देखता ही रहा—एक टक....! "मगर बेटा, ऐसी ठंडी रात में तूने बस एक कुर्ता पहन रखा है? अगर तेरा ब्याह नहीं हुआ तो मां तो होगी ही, उसने तुझे एक कुर्ते में कैसे आने दिया? बीमार न पड़ जाएगा? मेरे पास चादर है, यह ले।"

और उसने चादर गाड़ीवान के कंधों पर डाल दी। गाड़ीवान ने फिर उसकी तरफ़ मुड़कर देखा।

अंधेरी रात, एक कोस का जंगल और....एक अकेली बूढ़ी! बहुत डर रही थी। बस ख़ुदा पर भरोसा करके चल खड़ी हुई—करती भी क्या ? बुढ़िया बोली, दो दिन बाद बेटी की बारात आ रही है। चांदी का कुछ ज़ेवर तो होना ही चाहिए। मगर मुझ बेवा के पास पैसे कहां? शहर में रिश्ते की एक बहन रहती है। बस उससे रुपया उधार लिया और ज़ेवर लाई हूं। कोई बेटा होता तो मुझे क्यों हड्डियां धुननी पड़तीं? जाना तो मुझे ही था। पूरे पांच हज़ार के ज़ेवर हैं। ज़मींदार साहब भी इसी गाड़ी से आने वाले थे। वे भी बेटी का दहेज ख़रीदने गए थे, कम से कम पचास हज़ार का। मगर वे नहीं आए देर हो गई होगी ख़रीददारी करते-करते। मैं अकेली ही रह गई। ऊपर वाले का एहसान है कि तू मिल गया। स्टेशन मास्टर कह रहा था कि कलुवा डाकू भी आस-पास देखा गया है। बेटा, मैं बहुत डर रही हूं, ज़रा ये ज़ेवर अपने पास रख ले, नूरपुर पहुंचकर ले लूंगी।"

उसने ज़ेवर की पोटली गाड़ीवान को पकड़ा दी। गाड़ीवान ने उसकी तरफ़ देखा और देखता ही रहा।

"अब मैं आराम से बैठ सकूंगी। बेटा, तुझे डर तो नहीं लगता कलुवा से? सुना है बड़ा ज़ालिम है वह। जगह-जगह डाके डालता फिरता है। मुसाफ़िरों को लूट लेता है। लोग उसे बद्दुआएं देते हैं, कोसते हैं। बेटा लूटी हुई दौलत से कभी भला नहीं होता। दिलों को दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। रातों के अंधेरों में लूट-मार करने वाले नादान नहीं, जानते कि वह (अल्लाह) हज़ारों आंखों से उनकी एक-एक हरकत को देख रहा है और जल्द ही वह उनसे हिसाब लेगा। डाकू अपनी ताक़त के बल पर लूटता है, मगर वह नहीं जानता उससे बड़ी भी एक ताक़त है। बेटा! मैं बूढ़ी नादान बड़ी-बड़ी बातें क्या जानूं। बस इतनी नसीहत याद रखना कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, और बेटा! ख़ुदा बुरे काम करनेवालों के माथे पर उनकी बुराइयों की छाप डाल देता है, उनके चेहरों से ही बुराई ज़ाहिर हो जाती है और नेक लोगों के चेहरे अंधेरे में भी चमकते हैं, उनपर एक मासूमियत होती है। अब अपना चेहरा ही देख ले, कैसा भोलापन लिए हुए है!"

इस बार गाड़ीवान ने फिर चौंककर बुढ़िया की तरफ़ देखा। लालटेन की रौशनी उसके जवान चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में भी दो चिराग़ झलक रहे थे। उसके बदन पर कपकपी-सी तारी हो गई। वह कांपते हुए हाथों से बीड़ी सुलगाने लगा।

"बुझा इसे, जानता नहीं इससे कलेजा जलता है। क्या तेरी मां ने इतना भी नहीं बताया?"

गाड़ीवान ने सिर हिलाकर बीड़ी बुझा दी।

"बेटा, बूढ़ों का काम अच्छी बातें बताना ही तो होता है। धुएं से कलेजा जलता है। अच्छे लोगों को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए-उफ़, मेरी भी मति (बुद्धि) मारी गई है। न जाने किस वक़्त तू घर से चला होगा? भूखा होगा, मेरे पास रोटी है, थोड़ा-सा गुड़ और आम का अचार है। ये ले, अरे ले ना। तेरी अपनी मां होती तो तुझे भूखा रहने देती? मार-मारकर खिलाती।"

गाड़ीवान ने तड़पकर उसकी तरफ़ देखा और रोटी ले ली।

"मैं भी तो तेरी मां ही हूं। इसी लिए तो इतनी बातें कर रही हूं। मगर बेटा, अंधेरी रात में इस तरह अकेले नहीं आया करते। पर तू भी क्या करे? कभी-कभी आदमी अकेला हो ही जाता है। मुझे ही देख ले। अकेली आ रही हूं। अपना कोई भी तो नहीं। बस एक बेटी है। उसका भी ब्याह हो जाएगा। अकेलों का तो ऊपरवाला ही होता है। आदमी यह मोटी-सी बात समझता नहीं। एक-दूसरे को अकेला, बेसहारा समझकर लूटता है, एक-दूसरे का गला काटता है। हां, नीले आसमान वाले (अल्लाह) की हज़ार आंखों के सामने ! है न पागलपन की बातें? तू ख़ुद ही सोच, अगर कोई चोर, सिपाही के सामने चोरी करे तो वह पागल ही तो कहलाएगा? वह जानता है कि

पकड़ा जाएगा।"

गाड़ीवान ने इस बार कनखियों से मुड़कर देखा।

"और भागकर जाएगा कहां?" अंधेरों और उजालों के बादशाह (अल्लाह) से कहां तक बचेगा? क्या मिलता है इस लूट-मार से? इससे कब किसी का भला हुआ है? अब कलुवा को ही ले। अंधेरों ही का शेर है और अंधेरे ही में लिपटा रहता है। उजालों में उसके लिए कोई जगह नहीं। छिपा फिरता है। सरकार ने पचास हज़ार का इनाम रखा है उसे पकड़वाने वाले के लिए। आख़िर यह भी कोई जीना है? बिना वजह गुनाहों का बोझ अपने सिर पर बढ़ाता ही चला जाता है। क्या लूट-मार के बग़ैर गुज़ारा नहीं हो सकता ? क्या ज़रूरी है कि दूसरे के हाथ से छीने हुए निवाले ही से पेट भरा जाए? चोरी-चकारी के माल में न बरकत है, न दिल का सुकून। आदमी को मेहनत से रोज़ी कमाना चाहिए। अपनी जैसी भरपूर कोशिश करता रहे, ख़ुदा ज़रूर मदद करता है। नए-नए ज़रिए निकाल देता है। ऐसे-ऐसे हाथों से देता है कि अक़्ल हैरान रह जाती है। बेटा! तूने मुझे इस वक़्त बड़ा सहारा दिया है। तेरा मुझ पर बड़ा एहसान है। मैं एक ग़रीब बेवा (विधवा) हूं। दो दिन बाद बारात आएगी बेटी की, और मेरे पास कुछ भी तो नहीं सिवाय इन गहनों के। मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकती सिवाय एक नसीहत के—कभी बुराई की तरफ़ न जाना, कभी किसी का माल हड़प न करना और कभी किसी का दिल न दुखाना। सच्ची ख़ुशी चाहिए तो दूसरों के ज़ख़्मों पर मरहम रखो, अंधेरे में चिराग़ जलाओ और जलते चिराग़ को बुझाओ मत।"



बस एकदम से आंधी-सी उठी। पेड़ ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगे, झाड़ियों में हवा सांए-सांए कर रही थी और फिर आंधी थम गई। गाड़ीवान ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में चिराग़ और ज़्यादा रौशन नज़र आ रहे थे।

गाड़ी रुक गई। बुढ़िया चौंक पड़ी। नूरपुर आ गया था। बातों में वह ऐसी खो गई थी कि उसे एहसास ही न रहा।

वह गाड़ी से उतरी।

"ख़ुदा तुझे नेकी दे, बड़ी-सी उम्र हो, ख़ुश रहे—सारी ज़िन्दगी।" वह दुआएं देती हुई चली गई। गाड़ीवान देर तक उसकी तरफ़ देखता रहा।

उसकी दोनों आंखों में सैलाब आ गया था।

वह घर पहुंचते ही चौंक पड़ी। ज़ेवर की पोटली गाड़ीवान के पास ही रह गई थी। उसने अपना सिर पीट लिया। आस-पड़ोस के लोगों को दौड़ाया।

मगर गाड़ी न जाने कहां जा चुकी थी।

वह बहुत परेशान थी। दो दिन बाद बारात आने वाली थी। ज़ेवर भी खो गया था। उसकी आंखों से मोटे-मोटे आंसू टपक रहे थे। बार-बार आसमान की तरफ़ देखती और कराहती थी।

अगले दिन दो सिपाही उसके दरवाज़े पर आए और उसे क़स्बे के थाने चलने को कहा। वह घबरा गई। नूरपुर में हर तरफ़ यही बात होने लगी।

थाने में दाख़िल होते ही वह चौंक पड़ी। रातवाला गाड़ीवान थानेदार के कमरे में फ़र्श पर बैठा मुस्करा रहा था। मगर यह क्या? उसके हाथ में तो हथकड़ियां थीं!

थानेदार ने कहा, "सुनो मां! यह कलुवा है, कलुवा डाकू। रात तुम इसकी गाड़ी में पोटली भूल आई थीं। यह पोटली लेकर यहां आया और ख़ुद को इस शर्त पर पुलिस के हवाले कर दिया कि पचास हज़ार का इनाम तुम्हें ही मिले। यह लो पोटली और इनाम भी।"

और बुढ़िया ने देखा—डाकू की आंखों में उस वक़्त भी चिराग़ रौशन थे। वे आंखें जो अंधेरे में पली-बढ़ी थीं अब उनमें उजालों के तूफ़ान उमड़ रहे थे। उन आंखों में बेपनाह ख़ुशी थी, सुकून था और इन्सानियत की चमक थी। एक बुढ़िया की बातों ने डाकू को ख़त्म कर दिया था—डाकू को बस यूं ही राह चलते मंज़िल मिल गई—उजालों की मंज़िल!■■

हज : मानव समानता एवं वैश्विक भाईचारा

❖डॉ. फ़रहत हुसैन

संयुक्त राज्य अमेरिका में रंग एवं नस्ल की समस्या से जूझते हुए अफ़्रीक़ी मूल के एक बड़े लीडर मैल्कम एक्स (Malcolm X) ने जब इस्लामी शिक्षाओं में मानव समानता के सिद्धांत का अध्ययन किया और अपने संपर्क में आए मुसलमानों के व्यवहार को परखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। वर्ष 1964 में जब वह हज की तीर्थ यात्रा पर गए तो पुकार उठे कि यह है वास्तविक मानव समानता तथा विश्व बंधुत्व। हज यात्रा के उनके संस्मरणों में उन्होंने स्वीकार किया है कि रंग और नस्ल के भेदभाव तथा सामाजिक असमानता का एक मात्र समाधान इस्लाम में है जिसका प्रत्यक्ष एवं व्यावहारिक रूप हज यात्रा में मिलता है। मैल्कम एक्स (जो बाद में मलिक अल-शाबाज़ के नाम से जाने गए) अपने एक पत्र में लिखते हैं–



"मैंने कहीं और, सभी रंगों और जातियों के लोगों द्वारा की गई ऐसी ईमानदार मेहमाननवाज़ी और सच्चे भाईचारे की ज़बरदस्त भावना को नहीं देखा जो मुझे हज़रत इब्राहीम (अलैहि.) और पैग़म्बर (मुहम्मद सल्ल.) की इस पवित्र भूमि (अर्थात् मक्का, मदीना आदि) में देखने को मिली।"

"(हज में) हम सभी वास्तव में एक जैसे थे, क्योंकि एक ईश्वर में उनकी आस्था ने उनके दिमाग़ से 'श्वेत'(Whites) उनके व्यवहार से 'श्वेत' और उनके दृष्टिकोण से 'श्वेत' (अर्थात् नस्लीय घमंड) को हटा दिया था।"

(Malcolm X, letter from Mecca April 20, 1964)

एक अन्य स्थान पर वह लिखते हैं–

"(हज के अवसर पर) सभी रंगों के मुसलमानों को नीली आंखों वाले गोरे लोगों से लेकर काली त्वचा वाले अफ़्रीक़ियों तक समान रूप से मिलते और बात करते देखकर मैंने इस्लाम को एक ऐसे साधन के रूप में पाया जिसके द्वारा रंग एवं नस्ल के भेदभाव की समस्या पर क़ाबू पाया जा सकता है।" (Peru P.155)

समस्या जटिल है

सामाजिक अन्याय और इंसानों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव प्राचीन युग से आज तक चला आ रहा है। यह भेदभाव आगे बढ़कर द्वेष, घृणा, दुश्मनी, अपमान, ज़ुल्म-ज़्यादती, अत्याचार और मानवाधिकार-हनन तक पहुंच जाता है। निहित स्वार्थों के चलते भेदभावपूर्ण व्यवस्था के पक्ष में दलीलें इकट्ठा की गईं, नियम-क़ानून और सिद्धांत बनाए गए, यहां तक कि इस भेदभावपूर्ण नीति को धार्मिक मान्यता प्रदान की गई। कई क़ौमों और देशों ने इसे अपनी स्थाई नीति बनाकर कार्य किए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा-पत्र

समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास भी किए जाते रहे हैं। आधुनिक युग में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त

करने और मानवाधिकार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को 'मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा-पत्र'(Universal Declaration of Human Rights) स्वीकार किया, जो वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। इस घोषणा-पत्र में मानवाधिकारों का सम्मान करने, जाति, लिंग भाषा तथा धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी इंसानों को बुनियादी स्वतंत्रता दिलवाने की बात कही गई है। इस पूरे घोषणा-पत्र पर किसी सदस्य देश ने आपत्ति नहीं की और आपत्तिजनक कोई बात इसमें है भी नहीं। सभी घोषणाएं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली हैं। परंतु समस्या यह है कि मानवाधिकारों को लागू कौन करेगा? जो देश या समुदाय इनका हनन करे या घोषणाओं के विपरीत कार्य करे, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार किसके पास होगा? यदि यह अधिकार (Authority) किसी के पास नहीं है तो फिर ये घोषणाएं 'सुंदर इच्छाओं' से अधिक कुछ नहीं।

इस्लाम द्वारा प्रस्तुत समाधान

इस पृष्ठभूमि में समस्या के समग्र व्यावहारिक एवं संतुलित समाधान में इस्लामी शिक्षाओं का निष्पक्ष अध्ययन आश्चर्यचकित कर देता है। आज से 1450 वर्ष पूर्व पवित्र क़ुरआन ने मानव एकता, इंसानी बराबरी और भेदभाव रहित समाज की जो शिक्षाएं प्रस्तुत की हैं, वे क्रान्तिकारी भी हैं और मानव स्वभाव के अनुरूप भी। फिर महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उन सिद्धांतों की व्याख्या की और स्वयं आगे बढ़कर समानता और बराबरी का अभूतपूर्व नमूना पेश किया। जब हम उनके अंतिम हज संबोधन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह संबोधन मानवाधिकार का सबसे बड़ा घोषणा-पत्र है। वर्गविहीन समाज की यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के 1948 के घोषणा-पत्र से बहुत पहले की है जिसे लोगों की आस्था से जोड़कर उसके पालन को धार्मिक-स्तर पर अनिवार्य बना दिया गया। फिर इस समता, समानता और बराबरी को स्वयं हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने समाज में लागू किया और उनके उत्तराधिकारियों ने भी इसे जारी रखा जिसका विवरण इतिहास में प्रमाणिक रूप से दर्ज है।

इस्लामी शिक्षाएं

सामाजिक न्याय तथा समता-समानता संबंधी इस्लामी शिक्षाओं को यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) सभी इंसान एक जोड़े की संतान हैं–

पवित्र क़ुरआन में अनेक स्थानों पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है–

"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहां सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक ईशभय रखता है।" (क़ुरआन, 49:13)

क़ुरआन के इस अंश में मानवजाति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके उस बड़ी बुराई को समाप्त किया गया है जो सदैव विश्वव्यापी बिगाड़ के मूल में रही है अर्थात् रूप-रंग, जाति-भाषा और क़ौम का भेदभाव।

(2) सभी इंसानों की उत्पत्ति एक ही प्रकार से की गई–

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सभी इंसानों के पैदा होने की प्रक्रिया तथा मूल तत्व एक समान है।

"हमने तुम्हें पैदा करने का निश्चय किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के आगे झुक जाओ।" (क़ुरआन, 7:11)

"वही है जिसने पैदा किया, तुम्हें मिट्टी से, फिर वीर्य से, फिर रक्त के लोथड़े से, फिर वह तुम्हें बच्चे के रूप में निकालता है।" (क़ुरआन, 40:67)

"अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े बनाया।" (क़ुरआन, 35:11)

(3) सभी इंसान ईश्वर की उत्तम रचना हैं–

"निःसंदेह हमने मनुष्य को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया।" (क़ुरआन, 95:4)

"हे मनुष्य! किस चीज़ ने तुझे अपने प्रभु के विषय में धोखे में डाल रखा है। जिसने तेरा रूप बनाया फिर नख-शिख से दुरुस्त किया और तुझे संतुलन प्रदान किया।" (क़ुरआन, 82:6-7)

"वह अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने का स्थान बनाया और आकाश को एक छत के समान बनाया और तुम्हारी शक्ल व सूरत बनाई और बहुत अच्छी बनाई।" (क़ुरआन, 40:64)

(4) इंसान को ईश्वर ने ससम्मान धरती पर बसाया–

"हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और अच्छी शुद्ध चीज़ों की उन्हें रोज़ी दी और अपने पैदा किए बहुत से प्राणियों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।" (क़ुरआन, 17:70)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का संपूर्ण जीवन भेदभाव को

समाप्त करने के लिए समर्पित था जिसके उदाहरण इतिहास के पन्नों में देखे जा सकते हैं। यहां सामाजिक न्याय से संबंधित उनकी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को यहां उल्लिखित किया जा रहा है–

• अंतिम हज के भाषण के उद्धरण :

"लोगो मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मैं तुमसे कभी न मिल सकूं। अज्ञानकाल की समस्त रीतियां मेरे पैर के नीचे हैं। तुम सबका प्रभु एक है और बाप भी एक है। किसी अरबवाले को किसी ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न किसी गोरे को किसी काले पर, हां बड़ाई तो केवल ईशभय के आधार पर है।" (हदीस : बैहक़ी)

• मक्का विजय के अवसर पर फ़रमाया :

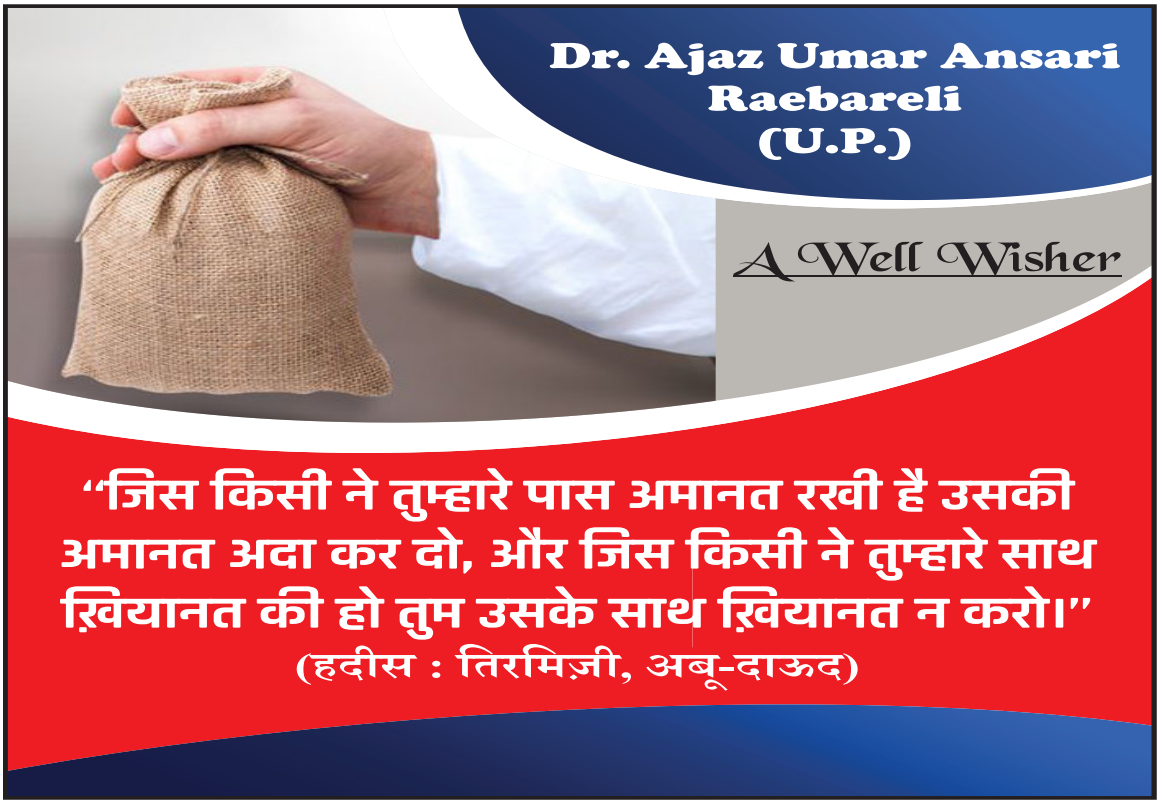
"शुक्र है उस प्रभु का जिसने तुम्हें अज्ञानकाल के घमण्ड से दूर कर दिया। सारे मनुष्य मात्र दो भागों में विभाजित होते हैं—एक सदाचारी व संयमी जो अल्लाह की दृष्टि से सम्मान वाले हैं, दूसरे दुराचारी और दुष्ट जो अल्लाह की नज़र में अपमानित और तुच्छ हैं। सारे इंसान आदम की संतान हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया था।" (हदीस : बैहक़ी)

"अल्लाह प्रलय के दिन तुम्हारा गौत्र या वंश नहीं पूछेगा, अल्लाह के यहां सम्मान वाला वह है जो सबसे अधिक ईशभय रखता है।" (हदीस : इब्ने-जरीर)

"अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारी दौलत नहीं देखता, वह तो तुम्हारे मन और कर्म देखता है।" (हदीस : मुस्लिम)

अंत में :

इस्लामी इबादतें विशेषकर नमाज़ तथा हज सामाजिक समानता एवं भाईचारे को मज़बूत करने का माध्यम हैं। मस्जिद में सभी उपस्थित लोग जब कंधे से कंधा मिलाकर पंक्तिबद्ध होकर अल्लाह की उपासना करते हैं तो अध्यात्मिक विकास के साथ-साथ आपसी भाईचारा परवान चढ़ता है। हज के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही समय में मक्का नगर में एकत्रित होते हैं और हर पुरुष तीर्थ यात्री (हाजी) एक ही लिबास में दो सफ़ेद चादरों को धारण किए हुए होता है। काले-गोरे, अमेरिकी-अफ़्रीक़ी, हिंदी-चीनी, राजा-प्रजा सब एक ही वेशभूषा में परिक्रमा करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए तथा ईश्वर का गुणगान करते हुए नज़र आते हैं। विश्व बंधुत्व तथा समानता का यह व्यावहारिक उदाहरण भी है और उसके लिए प्रशिक्षण भी है। ■■



(An ISO 22000:2005 Certified Company)

OCEANS SECRET

INDIA'S LEADING CANNED FOOD BRAND

- TUNA
- SARDINES
- MACKEREL



www.oceanssecret.in | info@seahath.com | Follow Us: oceanssecret | SHOP ONLINE @ amazon

SEAHATH CANNING CO. Plot - 8, Margao Industrial Estate, Curtorim, GOA, INDIA - 403 709 **CUSTOMER CARE : 0832-2860412**

KANTI Monthly, New Delhi
June 2026
Posted on 20-21 May 2026
Published on 18 May 2026
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

"अगर क़यामत आने लगे और तुममें से किसी के हाथ में एक पौधा हो, और वह उसे लगाने की ताक़त रखता हो, तो उसे चाहिए कि उसे लगा दे।" (हदीस : मुस्नद अहमद)

with best compliment from

Aleemuddin Khan
Bengaluru
[K.A.]